22nd of April

भारत के संविधान की हस्त लिपि – प्रेमबिहारी नारायण रायजादा (6 months में 254 Pen)

Indian Polity
(भारतीय राजव्यवस्था)

भारत का संवैधानिक विकास :- [history of]

Basic Constitution मूल संविधान		Modern Constitution आधुनिक संविधान
लागू	26 Jan 1950	at present
Preamble (प्रस्तावना)	"	"
Schedule (अनुसूचियाँ)	08	12
भाग (Parts)	22	25
article (अनुच्छेद)	395 (283) जब draft तैयार किया	448 पहले, now 466
संसोधन (Ammedments)	0	101 [GST] → 101वाँ

विधेयक (amd bill) – 122

भारतीय संविधान के विदेशी स्त्रोत :-
(Foreign Sources) of Indian Constitution

① U.S.A. (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) :-
ⓐ प्रस्तावना [Preamble]
ⓑ मौलिक अधिकार [fundamental rights]
ⓒ राष्ट्रपति का पद [Post of the president]
ⓓ राष्ट्रपति का निर्वाचन [election of the president]
ⓔ Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) & judiciary (न्यायपालिका)

(f) न्यायिक पुनर्विलोकन (judicery review]

② Britin ;- (a) नागरिकता (Citizenship]
↳ Single (एकल) नागरिकता

(b) संसदीय प्रणाली (parliamentry provision]

Britin → Parliament → House of Lord, House of Common
→ British Crown (No president]
भारत - संसद

(c) law making processor (विधि के निर्माण का प्रावधान)

③ आयरलैण्ड ;— (a) राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP]
directive principal of state policy [Part4]

इसने स्पेन से adopt किया था

purpose - एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना

(b) राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि
(election process of the president]

(c) appoinment of 12 members in RS by the president of India
(राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति]

RS (250) max — 238, 12
LS 545 (max 552) — 543, 2

(d) राष्ट्रपति द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कार और सम्मान [awards and honours given by the president]

राष्ट्रपति
↓
(a) नागरिक सम्मान (Civilian honours]
↳ सर्वोच्च — भारत रत्न
पद्म विभूषण
पद्म भूषण
पद्म श्री

यहा कोई धन राशि नहीं मिलती

(b) Particular award — • राष्ट्रीय खेल सम्मान
National sports awards

मेजर ध्यानचन्द्र के Birthday पर ← हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस → (29-Aug) को

स्पोर्ट्स → • राजीव गांधी खेल रत्न
• अर्जुन पुरस्कार
द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा मेजर ध्यानचन्द्र Trophy

• National film award

(c) Bravery awards ;— (medals होते हैं)

war time medal	peace time Medal
• परमवीर चक्र	• अशोक चक्र
• महावीर चक्र	• कीर्ति चक्र
• वीर चक्र	• शौर्य चक्र

Australia ;— (a) प्रस्तावना की भाषा [language of Preamble]
(b) Concurrent List (समवर्ती सूची)

Note ;— संविधान में तीन सूचियां होती हैं (a) union, state, Concurrent
1935 Gov of India act से adopt

art-85
(c) joint sesion called by president {राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला (संयुक्त अधिवेशन)} [6 month से अधिक नहीं होती) दो सत्रों के बीच की दूरी

Note → किसी महत्वपूर्ण bill पर President चाहे तो दोनों Houses को बुला सकता है।

(d) केन्द्र एवं राज्यों के बीच सम्बन्ध [relations between union & state]

(e) व्यापार के नियम [Rules of Trade]

(5) फ्रांस :- (a) Idea of Liberty (स्वतंत्रता)
equality (समानता)
Fraternity (बंधुता)

(6) Russia (रूस) : (a) Fundamental duties
(मौलिक कर्तव्य)
11 now

(b) Idea of equal justice
(समान न्याय)
political (राजनैतिक न्याय) Economical (आर्थिक न्याय) Social justice (सामाजिक न्याय)

(7) जर्मनी :- (a) आपातकाल [Emergency]
↓
west Germany

Note- बिसमार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया।

(8) South Africa : (a) संविधान संशोधन
(Constitutional and]

(9) Canada :- (a) Unitry powers
(संघात्मक शक्तियां)

means- केंद्र मजबूत एवं राज्य कमजोर

(b) distribution of power b/w Union & State
केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन

GST भी Canada

भारत से लिया गया प्रावधान — Zero hour (शून्य काल)

Pre decided { 12:00 — 13:00 बजे तक

संविधान की प्रस्तावना :- 13 dec 1946

So* — प्रभुत्व सम्पन्न (Sovereign)
So* — समाजवादी (Socialist)
S* — पंथ निरपेक्ष (Secular)
जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गयी सरकार ← D — लोकतांत्रिक (Democratic)
R — गणतंत्र (Republic) → france से लिया

equal
J - Justice (न्याय) — political (राजनैतिक), Social (सामाजिक), Economical (आर्थिक)
L - स्वतंत्रता (Liberty)
E - समानता [equality] ← low, धर्म, जाति, लिंग
F - भाईचारा (बंधुता) — Fraternity
I* - Integrity (अखण्डता)

1917 Russian Revolution

→ फ्रांस की क्रांति (1789) से लिये हैं

Note — हम भारत के लोग भारत को So, So, S, D, R बनाना चाहते हैं

Govt. is By the people, Of the people, for the people

Democratic (लोकतंत्र) — हमारे यहा कोई भी पद [अनुवांशिक] नही होगा
i.e राजा का बेटा राजा बनेगा

• फिर हमारे देश मे equal justice

Liberty (स्वतंत्रता) — भारत मे कही भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अपने विचार व्यक्त करने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता

Integrity :— हमारे देश मे कोइ बाहरी आदमी आकर रहना चाहे तो most welcome
But हमारे देश का कोई राज्य हमारे देश से अलग होने की बात करेगा Not possible

Socialist 80* } संविधान में add किया गया (बाद में)
Integrity 76* } ↓ By
Secular S* } 42nd con ammendment 1976
↓
minrva mills vs Union of India Case में Supreme Court ने Secular region को संविधान का मूलभूत ढाँचा माना है।

[42वें संविधान संसोधन 1976 में]

संविधान की अनुसुचिया (Schedule)

Schedule-1 :- Names of Indian States and UT
(भारत के राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के नाम)

Now 29 state
UT=

जब सबसे पहले राज्यों का गठन हुआ — 14 State
— 6 UTS

पुनः गठन तब → 15वां राज्य — गुजरात (पहला)
25वां राज्य — Goa
29वां राज्य — तेलंगाना (2 june 2014)

1961 में Goa & दीव-दमन को पुर्तगालियों से खाली करवा लिया दोनों UT बनायी → यहां UT — (8)

1987 में 25वां राज्य — गोवा को
then UT = (7)

Schedule 2 :- about the salary and allounces of diff Gov officials of India
भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन एवं भत्तो के विषय में
President, V. President, Governers, PM, Council of ministers, Judges of SC & HC (President appoint)
member of parliament / LA (विधान सभा)
legislative assembly

CAG [नियंत्रक महालेखा परीक्षक] → Comptroller & auditor General
art 88 AG (भारत का महान्यायवादी)
Solicitor General [महाधिवक्ता वकील (Layer)]

Salary decide करेगी parliament
But [AG & Solicitor General] की president decide करता है।
↓
इनकी Salary Called Retainer [रिटेनर]

Note
शपथ — at present

शपथ		at present
CJI (most senior judge of SC)	① President	राम नाथ कोविंद
president	② Vice president	एम० Venkaiah Naidu
CJ of HC	③ Governers	—
presi	④ PM	नरेन्द्र मोदी
Presi	⑤ Council of ministers	—
Presid	⑥ Judges of SC	Ranjan Gogoi
Governer	& HC (25)	—
protm Speaker	⑦ member of parliament &	—
"	LA	—
presi	⑧ CAG	Rajiv Mehrishi
presi	⑨ AG	K. K. Venugopal [15th]
presi	⑩ Solicitor General	Tushar Mehta [Replace- Ranjit Kumar]

CJI: AG — भारत का सबसे बड़ा विधिअधिकारी [Low officer] होता है जिसका काम होता है भारत में Ensure करना that constitution is being followed or not [यह SC, LS, RS में किसी भी Time बैठ सकता है बहस कर सकता है]

But — {SC में फैसला तथा संसद में बहस करने का अधिकार} X

* जब President पर महाभियोग लगे तब President की वकालत भी AG ही करता है

⇒ भारत का सबसे बड़ा महाधिवक्ता (अधिवक्ता) Called Solicitor General

Schedule 3 :- विभिन्न पदाधिकारियों के सपथ ग्रहण के विषय में
[about the oath taking of diff Gov officials]

Governer को — HC का मुख्यन्यायाधीश

Speaker of लोकसभा — सपथ ग्रहण नहीं करता है (गोपनीयता की)

23rd of April

Schedule-4 :- allocations of members of R.S from state legislative assembly
राज्यों की विधान सभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन (allocation)

Base Year - 1971 की population
2026 तक सीज

Schedule 5 :- Special provisions for schedule cast & Schedule Tribes (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान

Schedule 6 :- Special provisions for special admnistrative areas [विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान] [North eastern State]
विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्य A,M,T,M

Normal State { State - 90%, Centre - 10% }

special state { Centre - 90%, State - 10% } Contribution

Schedule 7 :- List of the Constitution (संविधान की सुचिया)
संविधान में सुचियो की संख्या 3 है

USA
① Union List (संघ सूची)
② State list राज्य सूची USA
③ Concurrent list समवर्ती सूची

① इसमे वो विषय आते है जिसपर केन्द्र द्वारा कानून बनाया जाता है — 100 (Total No of Subject)
But No — 97 है विषयो

② State list :- इसमे वो विषय आते है जिनपर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है
राज्य सूची
इसमे विषयो की संख्या — 61 है
But पहले विषयो की संख्या = 66 थी

③ Concurrent list :- Australia से लिया गया है।
(समवर्ती सूची) इसमे वो विषय आते है जिनपर केन्द्र तथा राज्य दोनो कानून बना सकते है।
इसमे विषयो की संख्या — 52 है
But पहले इसमे (47) विषय Add — family planning (परिवार नियोजन)
- माप और तौल
- forest (वन)

Schedule 8 :- Languages of the Constitution
संविधान की भाषाए
मूल संविधान की 14 भाषाए

① असमी भाषा
② बंगाली भाषा [Hindi के बाद सबसे ज्यादा बोली जाती है in India]
③ गुजराती
④ हिन्दी

(5) कन्नड (कर्नाटक की)
(6) कश्मीरी
(7) मलयालम (केरल की)
(8) मराठी (महाराष्ट्र में)
(9) ओडिया पहले उड़िया
(10) पंजाबी
(11) संस्कृत [उत्तराखण्ड)
(12) तमिल
(13) तेलगू [आन्ध्र & तेलंगाना]
(14) Urdu (उर्दू)

But हमारे आधुनिक संविधान में भाषाओं की संख्या 22 है
संविधान की भाषा नहीं है — English

(15) → 21वें संविधान संसोधन 1967 — Sindhi (सिंधी) जोड़ी गयी

(16) (17) (18) → 71वें संविधान संसोधन 1992 — (3) जोड़ी
नेपाली (बंगाल, पूर्वी UP), मणिपुरी, कोंकणी (Goa)

(19) (20) (21) (22) → 92वें संविधान संसोधन 2003 — (4) जोड़ी

M	B	D	S
methili	Bodo	Dogri	Santhali
मैथिली	बोडो	डोगरी	संथाली
(Bihar)	असम & नागालैण्ड	(HP & Jmmu)	(झारखण्ड)

Schedule (9) :- (Laws of Land Reforms)
भूमि सुधार के कानून

1st Const. Ammendment 1951 — Y.K. सभरवाल 1973 केशवानंद भारती

Schedule (10) :- Anti Defaction Law
दल बदल पर रोक का कानून

52nd Const. Ammendment 1985

Schedule (11) :- पंचायती राज को ~~संवैधानिक~~ संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ [Panchayat becomes the part of Indian Constitution]

73rd Const Ammendment [1992]
pm— P.V. नरसिम्हा राव

Schedule (12) :- [municiple corporation becomes the part of Indian Constitution]
नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ

part 9(A) & 9(B) भाग
(पंचायत)

74th Const. Ammendment 1992

भाग - 1

Part - I

UNION and its STATES
संघ एवं इसके अधीन राज्य [art - 1 to 4 ↳ अनुच्छेद]

art-1 :- India that is Bharat is union of states
इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ है

India ↓ 31.1% (शहरों) यूनानियों से मिला

भारत ↓ 68.9% (गाँव)

भारत — दुश्यंत तथा सकुन्तला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा or ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत

art 2 :- भारत में नये राज्यों या नये क्षेत्रों का प्रवेश
[Enterence of new state or Territory in India]

Ex- Sikkim [35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत Sikkim को भारत में add किया गया और इसे इसे असम का सहराज्य [associate state of state] का दर्जा मिला

2nd Sikkim राज्य को 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत Sikkim को भारत का 22वां राज्य बनाया गया
Sikkim को ↳ पूर्ण राज्य बनाया गया

★ Sikkim — special state
↓
राज्यपाल — anglo Indian → Buddhist की नियुक्ति करता है

Sikkim को पहले नेपा कहते थे

Note → Sikkim में संविधान सभा का चुनाव 40 states में होता है
हर राज्य की विधान सभा में 1 anglo Indian की नियुक्ति करता है राज्यपाल

100 वा संविधान संसोधन

Ex – भारत तथा Bangladesh के बीच में भूमि सीमा समझौता (2015 में)
14 may

Bangladesh – 1971 में बना था

Note → हमने Bangladesh को अपने 111 गॉव दिये तथा 51 villade. आये भारत में [1 Aug 2015 से Land Boundry agreement imposed हो जायेगा]

| भारत (कर्मफूला नदी) Bangladesh
Boundry

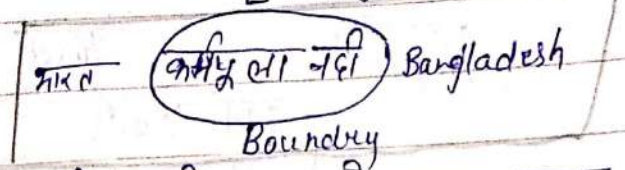

art-3 :→ भारत में नये राज्यों का जन्म उनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन
राज्य बनाना permission – President
amd bill है तो
(Birth of new state in india changes in their names and boundary)

Ex Last → तेलंगाना (29 वा राज्य)
↓
Andhra pradesh की सीमा में changes

(24th of april)

art 4 :- If a low is made which is effecting art 1, 2, 3 that can be done by an ordinary Bill or low
यदि अनु 1, 2, 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसके लिए साधारण विधेयक को भी ~~use करके किया~~ जा सकता है
को भी पारित करके ~~भी~~ कानून बनाया संसोधन विधेयक की need नहीं है

कानून बनने के लिए पहले ... जायेगा

Bill
- ordinary Bill – साधारण विधेयक
- monetry Bill – धन विधेयक
- Financial Bill – वित्त विधेयक
- ammendment Bill – संसोधन विधेयक

Normally कानून and Bill ...

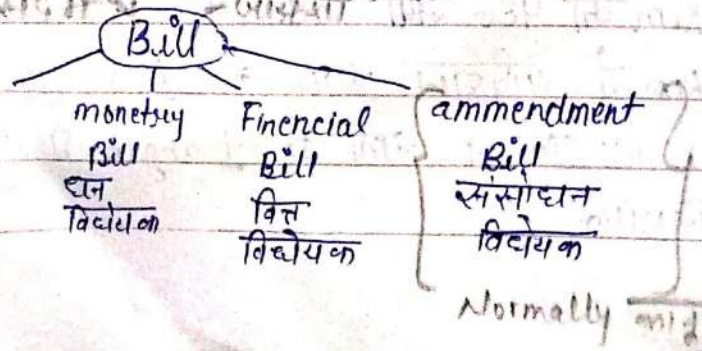

इलाहाबाद
Allabad हाईकोर्ट
[retained / सेवानिवृत्त] — Heigh Court जज
↓
S.K. Dhar

Evalution of States
राज्यों का पुनर्गठन

(Session)
1948 मे कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के दौरान —

इसी अधिवेशन मे Pt. Nehru ने JVP समिति का गठन किया जिसमे तीन सदस्य थे

J – Pt. Jwahar lal Nehru
V – सरदार Vallabh Bhai Patel
P – Pattabhi Sitaramiyya

1949 मे report पेश की गयी और कहा राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नही प्रशासन के आधार पर होगा

दक्षिण भारत के आन्दोलन का नेतृत्व संभाला
1950 – पोट्टी श्रीरामलू (तेलगू language)
↓ इसने लोगो को भड़काया और आन्दोलन तेज होगया
1952 – Died [आमरण अंशन से मर गया]

then भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया

By Pt Nehru | 1 oct 1953 | → Andhra Pradesh (तेलगु भाषा के आधार पर) → सबसे पहला राज्य

1953 मे Pt. J.L. Nehru ने [राज्य पुनर्गठन आयोग] का निर्माण किया
[evalution of state commission]
↓ head (3 member)

① फजल अली — अध्यक्ष
Called – फजल अली आयोग है
② Hridyanath Kunjuru ③ K.m. Panikkar

फजल अली Comm
↓
राज्य 4 catagory मे divide करेगी

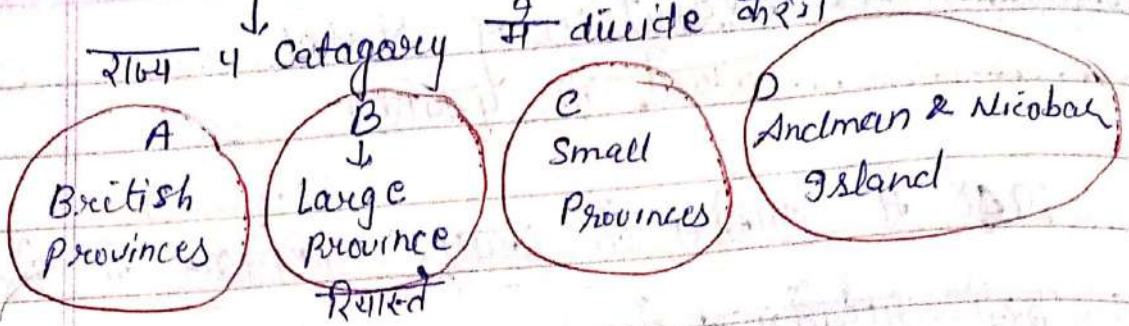

A	B	C	D
British Provinces	↓ Large Province रियासतें	Small Provinces	Andman & Nicobar Island

कानून (act) 1956 का राज्यों का पुर्नगठन आधीनियम :-
Evalution of states Act :
— × — × — + — × —

इसी आधिनियम के तहत भारत मे 14 राज्य तथा 6 केन्द्र शासित प्रदेशो का गठन किया गया

14 राज्य
1. असम
2. बिहार
3. बोम्बे (बम्बई)
4. Central Provience (मध्य प्रान्त) — मध्य Pradesh
5. United Proviences (संयुक्त प्रान्त) — UP
6. पंजाब
7. जम्मू एव कश्मीर
8. कोरल
9. मद्रास (तमिलनाडु)
10. मैसूर (कर्नाटक)
11. उडीसा
12. पश्चीम बंगाल
13. राजस्तान
14. आन्ध्र प्रदेश

6 Union Territory
— × — × — × —
1. दिल्ली.
2. हिमाचल प्रदेश (Part हुआ करता था पंजाब का)
3. मणिपुर

(4) त्रिपुरा
(5) अण्डमान तथा निकोबार
(6) लकदीव (Lakdeev) — 2010 लक्षद्वीप

भारत के नये राज्यों का पुनर्गठन

देश का 15 वा राज्य गुजरात (1960) मे बनाया गया जिसको बोम्बे से Separate किया

(16) नागालैण्ड (1962)- नागालैण्ड राज्य अधिनियम के तहत

(17) हरियाणा (1966)- पंजाब राज्य अधिनियम के तहत

(18) हिमाचल प्रदेश (1970)- हिमाचल राज्य अधिनियम
(19) मेघालय — 23वे संविधान संसोधन (1969)

(20) मणिपूर —(1975) उत्तर पूर्व अधिनियम

(21) त्रिपुरा — (1975) उत्तर पूर्व अधिनियम
(23) मिजोरम - मिजोरम State act (1986)
(22) सिक्किम — 36th संविधान संशोधन 1975
(24) अरुणाचल प्रदेश (NEFA - North East Frontier of Assam)
└ 1986 अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम

(25) Goa - (1987)- Goa और दमन तथा द्वीप अधिनियम के तहत

(26) छत्तीसगढ — 84th संविधान संसोधन 2000

(27) उत्तराखण्ड (उत्तरांचल) — 84th संविधान संसोधन 2000
पहले
(28) झारखण्ड — 84th संविधान संसोधन 2000

(29) तेलंगाना - 2 जून 2014

[तेलंगाना राज्य अधिनियम (state act)]

↓

B.N. Kruishna Committee
(साधारण विधेयक भेजा गया संसद में)

भाग - 2

adopt from ↓ Britain Single citizenship ← **Citizenship (नागरिकता)**

[art - 5 to 11]

~~art-5~~ ;-

- Single — एकल नागरिकता
- dual citizenship — दोहरी — देश + state (राज्य)
  - Ex — USA, स्विजरलैंड

art 5 - नागरिकता की परिभाषा
[definition of citizenship]

art-6 - about the rights of citizenship of people migrated from pak to India
पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में

art 7 :- about the right of the citizenship of people migrated to pakistan from India
भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में

भारतीय मूल की अमेरिकी – सुनिता william (PIO)
pepsico की CEO – इन्दिरा नुई (एशिया की सबसे ताकतवर महिला)
एंजिला मार्कर (world की सबसे ताकतवर महिला)

art 8 – about the rights of citizenship of PIO [person of Indian origin]
हमारे पास चार प्रकार के Person

1. Citizen (नागरिक) – मम्मी, पापा, हमरा जन्म भारत में
2. N.R.I (प्रवासी भारतीय) – हम → गये विदेश Called NRI (Non residence Indian) (Green Card — नागरिकता न ली हो)
3. P.I.O (भारतीय मूल के लोग) → American से शादी that too called Indian (Citizenship Green Card)
4. OCI [overseas citizen of India] [भारत के ओवरसीज नागरिक] → dual citizenship (~~वहाँ देश के अधिकार~~) [ज्यादा close है India के] (2005 में)

PIO card without visa [15 Year] तक आ जा सकते हैं, शामिल आ जा सकता है 6 month रह सकता है

2015 के संशोधन के दौरान भारत में जो भी OCI आयेगा without visa आ जा सकता है (OCI card) unlimited time तक रह सकता है

भारत की सबसे ताकतवर महिला – Chairman of SBI अरुन्धती भट्टाचार्या
recently – ______

विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी – US President या Russian (रूस) President बराक ओबामा

art – 9 :– Termination of citizenship.
नागरिकता का विलंबन

Note अगर कोई भारतीय भारत सरकार को बिना inform किये किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी Indian citizenship automatically खत्म हो जायेगी।

art 10 :– नागरिकता के अधिकार
[Rights of citizenship]

विदेशियों को नहीं मिलेगा अधिकार (art 15)

art – 16 समानता का अधिकार
art – 19 right to freedom

धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर discrimination नहीं

एक अपराध – एक सजा
अपराध में संरक्षण [conservation in offence]

Rights against exploitation:
- art – 20 मिलेगा विदेशी को भी
- art – 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता
- art – 23 बलात्कार पर प्रतिबन्ध

Religious freedom:
- art – 25 धार्मिक स्वतंत्रता
- Art – 26 धार्मिक आयोजन
- art – 27
- art – 28

art-11 :- संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है
(ammendment)

(29th of april)

Part - 02
Citizenship (नागरिकता)

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके
5 ways to get citizenship of India

1. Citizenship by Birth (जन्म से नागरिकता)
   - 26 Jan 1950 के बाद जन्म भारत में हो
2. Citizenship by descent (वंशानुगत नागरिकता)
   - जन्म भारत के बाहर But जन्म के समय father के पास भारत की नागरिकता है।
3. Citizenship by Registration (पंजीकरण से नागरिकता)
   6 moths से भारत में रह रहा हो → Registration
   ↳(No any Criminal)
4. Citizenship by Naturalisation (प्राकृतिक नागरिकता)
   6 month से भारत में रहे then → Registration without
   तथा duration 4-Year का हो
5. Citizenship by acquired Territory (विलय से नागरिकता)

ये कानून 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम (Indian Citizenship Act) बनाये गये

1986 Indian citizenship ammendment act

① → Condition लगायी → माता - पिता में से कोई एक Indian

② Now जन्म भारत से बाहर But जन्म के समय माता/पिता Indian citiz

③ min 5 year Indian में रहना आवश्यक है 6 month ↓ 12 month

④ Now 10 years

⑤ No change

2005 Indian Citizenship act
(भारतीय नागरिकता अधिनियम)

① → दोनों - (माता तथा पिता) का भारतीय होना अनिवार्य

②

③ Girl after marriage No need to stay 5 year

PIO तथा (OCI) का विलय
→ unlimited time तक रहना (2015) में

नागरिकता के निलंबन (Terminate) के तीन तरीके

(1.) Renunciation (परित्याग) :- खुद छोड़ दे

(2.) Termination by the Gov (सरकार द्वारा निलम्बन) :- बिना GOI को बताये दूसरे देश की नागरिकता ले लेना

(3.) Depreviation (नागरिकता से वंचित करना) :-

(i) Illegal (गैर-कानूनी) :- गलत से नागरिकता ग्रहण की हो तो रद्द तथा उसके खिलाफ अपराधिक मामला (Criminal offence) दर्ज

(ii) Fifth Colomist (देशद्रोही) :- आतंकवादी प्रतिक्रिया में शामिल लड़ाई के दौरान शत्रु देश की मदद की हो
भड़काना भारत के लोगों को

(iii) Insolvent / Bankcrupt (दिवालिया)
Ex - विजय मालिया

राज्य सभा के सदस्य थे
पहले citizenship ⊗ then राज्य सभा से already निलंबन

हम भारत के नागरिक < राजनैतिक / सामाजिक अधिकार

(iv) Insane (पागल) :-

Part-3 Fundamental Rights
मौलिक अधिकार

art (12-35) — adopt - U.S.A

1895 में सबसे पहले माँग की
↳ एनी बेसेन्ट (Verbal मौखिक) [1925] में

सबसे पहली लिखित माँग — (1928) में मोतीलाल Nehru
under - Nehru Report

1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की माँग — सरदार वल्लभ भाई पटेल

1945 - तेज बहादुर सप्रु समीति
↓ Report के अनुसार
fundament right को

Part (3)
जिनके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं
art (12 to 35)

Court ✗ → (Part - 4) D.P.S.P → purpose - कल्याणकारी राज्य की स्थापना
(Art 36-51)
Ex - Right to get work

⇒ 1215 ई० में (Britain) में मौलिक अधिकार की माग सबसे पहले
↓ King
King John
magna Carta - art (12 to 35)

भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं।

① Right to equality (समानता का अधिकार) (art 14-18)

② Right to freedom (स्वतंत्रता का अधिकार) art (19-22)

③ Right against exploitation (शोषण के विरुद्ध अधिकार) art (23-24)

④ Right to freedom of religion art-(25-28)
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

⑤ Cultural and educational Right (art - 29-30]
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार

art 31 X

⑥ Right to Constitutional Remedies
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (art - 32)

according to भारतीय संविधान की आत्मा
Dr. Bhim Rao ambedkar (Soul of Constitution]

Art(12) :- Defn of the fundamental Right

art(13) :- parliament has the right to make amd. in fundamental Right without changing it Basic structure

संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन इसकी मूल संरचना में change ना हो

Right to equality (14 to 18)

art 14 :- Equality before law (विधि के समक्ष समानता)

Exception — 361 (art)
अपवाद ↓
president of India तथा Governor of State
~~Imperial~~

art 15 :- Equality on the basis of, religion, cast, raise, Sex-, birth place
धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर समानता

art 16 - equal opportunity to all
समान अवसर / लोक नियोजन की समानता

अपवाद - [art 16(4)] → अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति के तहत Reservation

art 17 :- abolishion of untouchability
(अस्पृश्यता का अंत)
↳ इसमे संसोधन नही किया जा सकता ।

art 18 :- भारत ने उपाधियो का अंत
(abolishion of tittle)
उपाधी का use only → Dr / Defence (after retairment)

30th of April

Right to freedom (19-22)
स्वतंत्रता का अधिकार

art 19 (1) वाक की स्वतंत्रता — अपशब्द X Nation X के खिलाफ
(freedom of speech)

freedom of flag hosting (झंडा फैराने की स्वतंत्रता)

freedom of press (प्रेस की स्वतंत्रता)

19(2) freedom to Conduct a Conference or a meeting peacefully and without weapons
शान्तिपूर्वक एव निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता

19(3) संघ बनाने की स्वतंत्रता (freedom to make union)

19(4) freedom to roam anywhere in India
भारत मे कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता

19(5) freedom to live anywhere in India
भारत मे किसी भी क्षेत्र मे निवास करने की स्वतंत्रता

अपवाद — जम्मू एव कश्मीर (we can not purchase property & we can not take domecile)

19(6) व्यापार करने की स्वतंत्रता — आपातकाल के समय सबसे पहले रद्द होगा धारा (144)
कर्फ्यू

art 20 :- Conservation in offence
(अपराध मे संरक्षण)

Condititon

20(a) one cannot be decleaired victum before offence is declared by the court
न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले उसे आरोपी नही किया जायेगा

20(b) Single punishment for Single offence
एक अपराध के लिए केवल एक सजा का प्रावधान

Exception — America [IPC मे अलग-2 सजाए (India मे)]

20(c) व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नही किया जा सकता [one cannot be forced to give statements against himself]

art(21) freedom to live
प्राण एवं देह की स्वतंत्रता

आपातकाल मे भी नही छीने जाते | art - 21, 20 |

21(a) free and Compulsary education to the children of 6-14 years
6-14 वर्ष के बच्चो को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
यह अनु० 86 वे संविधान संसोधन [2002] के तहत संविधान मे जोडा गया
(श्री अटल बिहारी वाजपेयी) ← pm

art 22 :- Conservesion in case of arrest.
गिरफ्तारी के संदर्भ मे संरक्षण

3 Condition

22(a) गिरफ्तारी से पहले व्यक्ति को उसका अपराध बताया जाना अनिवार्य है। [The person shoulbe informed about the offence before arrest]

(b) गिरफ्तारी के 24 hour के भीतर व्यक्ति को न्यायालय में या न्यायधीश के सामने पेश करना अनिवार्य है। [This is compulsory to present the person in court or before the magistrate with 24 hours of arrest]

(c) गिरफ्तार व्यक्ति को अपने लिए अधिवक्ता चुनने का अधिकार है (वकील) Layer

शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24)
Rights against Exploitation

art 23 :- Prohibition of trafking of humans
मानव तस्करी एवं बलातश्रम पर प्रतिबन्ध
(लोगों को खरीदना या बेचना)

art 24 :- Prohibition of child Labour
बाल श्रम पर प्रतिबन्ध
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम ⓧ लिया जायेगा।
→ पहला वायसराय जिसने प्रतिबन्ध - 1884- लार्ड रिपन
1st factory act - 1881

Right to freedom of Religion (25-28)
(धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार)

art 25 one has the right to follow any religion and Custom in India
व्यक्ति को भारत मे किसी भी धर्म और उसके रीति-रिवाजो को मानने का अधिकार है

Sikh — कृपाण धारण कर सकता है।
जैन धर्म को ग्रहण कर संलेखना व संथारा कर मृत्यु प्राप्त करना भी 25 के तहत

art 26 :- Right to conduct a religious program & a meeting
किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन को आयोजन करने का अधिकार।

1st religious census - 2011 (Hindu, Buddhism, muslim, Janism, Sikh, ईसाई, पारसी)

चीन मे Banned
↳ Buddh धर्म के अनुयायी But index मे — non-religious (① ईसाई ② muslim)

art 27 :- every religious income in india will be Considered tax free
भारत मे प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जायेगा

art 28 :- any educational institute will not provide religious education
किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं मे धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नही किया जायेगा

(प्रार्थना prayer)

Exception :- भारत के अल्पसंख्यकों (minorities) को अधिकार है कि वे धार्मिक शिक्षा के लिए विशेष संस्थानो की स्थापना कर सकते हैं
Ex — मदरसे

Cultural and Educational Right (29-30)
संस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार

art 29 one has the right to follow and develop his language, script & Culture
व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को मानने तथा उसका विकास करने का अधिकार है।

art 30 :- व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा लेने तथा प्रवेश (admission) लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(art 31) नहीं है → legal right (Right to property) → 300(A)

Right to Constitutional Remedies (art 32)
संवैधानिक उपचारों का अधिकार

art (32) :- SC — art 32, H.C — art 226 } writ जारी करेगी (मौलिक अधिकार हनन करने पर)

→ Writ of the Constitution

समन (call) → Lower Court, Session Court, district court

① Habeaus Corpus (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) :-
means → to get anything physically
मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति को Physically Supreme Court में Present होना

Gov employee & organisation

(2) परमादेश (mandamus) :- यह writ सरकारी कर्मचारी या किसी संस्था के खिलाफ जारी की जाती है जिसने संविधान का उलंघन किया हो।

(3) उत्प्रेषण [Certiorari] — यह writ अधीनस्थ (Lower Court) न्यायालयों या निचली अदालतों के खिलाफ जारी की जाती है जो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करते है।

(4) Prohibition (निषेध / प्रतिषेध) — इस writ के तहत SC तथा HC, Lower Court (अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय को रद्द कर सकते है।

(5) Quo-warranto :- अगर कोई भी व्यक्ति (अधिकार - पृच्छा) गलत तरीके से किसी भी सरकारी पद को ग्रहण कर लेता है तो इस writ के तहत उसकी नौकरी रद्द की जा सकती है।

merchant Low act 33, 34, 35

1st of may

Part 4 — Directive Principles of State Polity
राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Art—(36 to 51)

adopted from— आयरलैंड

Court में नहीं जा सकते

Aim— To make a welfare state
कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना

जो भाग-4 में नहीं है।

* **art 335** :- Reservation for SC/ST
SC व ST को आरक्षण का प्रावधान — also in 16(4) पदों
इसमें राज्य देता है
न्यायालय में जा सकते है
→ यह (भाग-16) में है।
→ special provision for special categories
विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान
art (330 — 342)

art 350(A) — राज्य का DPSP है
यह (part 17) में है
→ official Language
राजभाषा
→ art (343 — 351)
→ इसके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य
प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे
(Local Language)

* art 351 यह Part -17 में है
↳ राज्य का कर्तव्य है कि वह हिन्दी भाषा का विकास करे

art (36) :- राज्य के DPSP की परिभाषा
Definition of Directive principals of state policy
[राज्य के नीति निर्देशक तत्व]

art (37) :- parliament has the right to make and on DPSP
संसद को अधिकार है कि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर सकती है

art (38) राज्य का कर्तव्य होता है कि वह लोगों के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये।
राज्य की आय की असमानताओं को कम करना भी राज्य का ही कर्तव्य है।

art (39) :- राज्य में समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए
और यह male तथा female के लिए भी सामान्य (equal) होना चाहिए

लोक स्वास्थ्य (public Health) को बनाये रखना भी राज्य का कर्तव्य है

art(40):- [every state should has the Provision of Panchayata]
प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए

art(41):- Right to get work
कार्य पाने का अधिकार

art42:- Just and Humane Conditions to work
भूमन
कार्य को करने की न्यायसंगत एवं मानवीय दशाए
↓ facilities
1 day = 8 hour work
ministry — India Gate

art 43:- राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी दे
9000 या 8K

art44 — Uniform civil Code
समान नागरिक संहिता
} 1989 शाह बानो case के according by S.Court — सरकार — Congress लागू

i.e
प्रत्येक धर्म को लोगों को एक जैसा न्याय दे

Hindu law — (how) — muslim law — संविधान → uniform civil code

हाल ही में समान नागरिक संहिता को apply किया
भारत का पहला राज्य (Goa) है

art 45- 6-14 वर्ष तक के बच्चो को मुफ्त एव अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
[free education to the children of 6-14 Years]

art 46- SC तथा ST को आर्थिक एव शैक्षणिक विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है
[Economical & educational development of SC & ST is also the duty of state]

art 47:- राज्य चाहे तो किसी भी खाद्य एव पेय पदार्थ पर प्रतिबन्ध लगा सकती है

Ex – Guj, Bihar (शराब)

art 47(A) - Prohibition of domestic Animal Sacrifice
पालतू पशुओं की बलि पर प्रतिबन्ध [Cow]

art 48 - राज्य का कर्तव्य होता है कि पर्यावरण एव वन्य जीवो की सुरक्षा करना भी

art 49:- राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारको (National monument) की रक्षा करे

art 50:- राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका (executive) एव न्यायपालिका को अलग करना

art(51) आन्तरिक एव बाहरी शान्ति बनाये रखना भी राज्य का कर्तव्य है।

Part 4(A)

Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्य)
(या) मूल कर्तव्य

(adopted — Russia / रूस)

art 51(A) :- 42nd Constitution amendment 1976 मे जोडी गयी है। [स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर]
— 10 duties add की गयी

But 86 वा संविधान संशोधन 2002 [11th duty]

duty (11) → प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6—14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करे

duty (1) हमे हमारे राष्ट्रीय ध्वज एव राष्ट्रीयगान का सम्मान करना चाहिए i.e संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओ, राष्ट्रीयगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए

flag ratio — 3 : 2

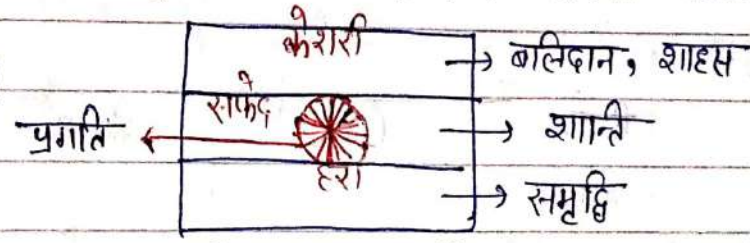

duty-2 freedom fighters तथा उनके उपदेशों का सम्मान करे
i.e स्वतंत्रता सेनानियो के आदर्शों विचारो आदि का पालन करना चाहिए

duty (3) भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना

duty-4 देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए जब ऐसा करने को कहा जाये

duty (5) भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व (भाइचारे) की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर [जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग कर जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं]

duty (6) देश की विविधकारी संस्कृति को बढावा दो और उसका संरक्षण करो

duty (7) जैव विविधता (Bio-diversity), पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना

duty (8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जानने की इच्छा का विकास करना

duty (9) सामाजिक / राष्ट्र सम्पत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना

duty (10) जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढने का प्रयास करते रहना।

Part-5 UNION
(संघ)

art (52 to 151)

संघ की कार्यपालिका [Executive] — Legislature (विधायिका) 79 - 123 — Judiciary न्यायपालिका

स्थापित — low बनाना — Examin

↓ Run

Parliament — art (79)

- राष्ट्रपति [संसद का अध्यक्ष] ↓ संघ का प्री अध्यक्ष art (52)
- लोक सभा ↓ Lower house art (81)
- राज्य सभा ↑ Upper house art (80)

Judiciary ↓ Run — Supreme Court उच्चतम न्यायालय art (124) ↓

1 — C.J.I.

30 other judges

(6th of may)

Executive of Union (संघ की कार्यपालिका) :-
art (52 - 78)

President (art 52-62)

- पद adopt by — U.S.A
- power like — Britin

art 52 :- भारत का एक राष्ट्रपति होगा

art 53 :- भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का [executive of onion] अध्यक्ष होगा।

भारत का प्रथम नागरिक = President

संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष
↑
De jeure head of Union — President
↳ By Law (कानून के तहत)
↓ केन्द्र की संघ का अध्यक्ष

De-facto head of union — PM (Prime minister)
practically
↓ केन्द्र की सरकार का अध्यक्ष

art 54:- राष्ट्रपति का निर्वाचन [election of the president]
[adopted from USA]

सबसे पहले निर्वाचन ⇒ भारत के President के 1st election - 1952

| 24 jan 1950 | → डा० राजेन्द्र प्रसाद
↓
भारत के राष्ट्रपति का पद बना [1st president of India]

भारत के अन्तिम Gov Gen — C. Raj. Gopalachari
24 jan 1950 सेवानिरत

election of President —
→ (1) LS तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
elected members of LS (543) & RS (238)

(2) elected member of state legislative assembly
(राज्यों की विधान सभाओं)
min - 60 सदस्य   max - 500 सदस्य

(3) elected member of Delhi and puducherry of Legeslative assembly (विधान सभा)

President का चुनाव

Indirect election (अप्रत्यक्ष चुनाव)

art 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि
election process of presidend → adopted from आयरलैण्ड

↓

अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली

↳ Called (First past the post system)?

(एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली) → Single transferable vote system

(OR)

(पहले खंभा छूने की रीति)

(ballet paper) आवेदन पत्र - भरा जायेगा
फिर Parliament में जायेगा

50 लोगो का समर्थन (प्रस्तावक)

50 लोगो का मत अनुमोदन (अनुमोदक)

तथा 15000 रु Refundable (50+50)

Non-Refundable (50+50) ✗

(America USA) → 4 Year

art 56 :- राष्ट्रपति का कार्यकाल — 5 Years
(Term of the President)

सपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक (कार्यकाल Starting)
(Next राष्ट्रपति चुनने तक)

Q राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है।

(a) राष्ट्रपति के निर्वाचन के नतीजे आने के दिन से

(b) राष्ट्रपति के अपने पद की सपथ ग्रहण करने के दिन से ✓

(c) राष्ट्रपति के पहले दिन अपने कार्यालय में जाने से

(d) राष्ट्रपति के प्रथम दिन संसद में जाने से

और सरकार का कार्यकाल President को संसद में जाने से

(1950 —1957— 1962)

सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे – Dr. Rajendra ~~Prasa~~ प्रसाद [भारत रत्न से नवाजा 1962]

art-(57) :- Provision of re-election of the president
राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान

i.e एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है But in USA – only two times

art (58) - राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताए

① वह भारत का नागरिक होना चाहिए

② वह न्यूनतम 35 वर्ष का होना चाहिए

③ वह किसी भी लाभ के पद [post of profit] पर नहीं होना चाहिए।

④ वह साक्षर (literate) होना चाहिए

⑤ वह पागल (insane) या दिवालिया (insolvent) नहीं होना चाहिए

⑥ वह LS का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो

art (59) :- राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें [Condition of the president office]

① राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय (National Capital) राजधानी या उच्चतम न्यायालय (SC) के समीप होना चाहिए

coz President सलाह ले सकता है – CJT (Supreme Court) art (143)

② भारत का राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता

~~LS~~ ~~RS~~

③ भारत का राष्ट्रपति वेतन (Salary) एवं भत्ते (allounces) एवं सरकारी आवास (Gov residence) का भोगी होगा
राष्ट्रपति भवन (new)

④ राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते मे कमी नही की जा सकती after appointment.

art 60 :- राष्ट्रपति को सपथ — भारत का मुख्य न्यायधीश (CJI) (not) available then
2nd Senior most judge of SC
उच्चतम न्यायालय का आगला वरिष्ठतम न्यायधीश

सपथ — 25 july को ग्रहण करता है
Coz 25 july 1977 को
नीलम संजीव Reddy ने सपथ ग्रहण की थी भारत के राष्ट्रपति के रूप मे

★★
art 61 - राष्ट्रपति का महाभियोग [Impeachment]
राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित (Removal) करने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते है।

ऐसा एकलौता Gov जनरल जिसपर महाभियोग लगा था — warren hasting 1785 मे
British संसद ने लगाया था
But भारत मे अभी तक नही लगा किसी पर भी
President (361) → neither arrest, nor punishment for the president of India (एक सभा महाभियोग)

→ राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में start की जा सकती है [LS या RS] के 1/4 member

→ then (14 दिन) का Notice राष्ट्रपति को दिया जाता है और इस्तीफे की माँग की जायेगी

↓

ना दे तो महाभियोग start [President की वकालत AG (महान्यायवादी) भी करेगा]

यह अपना इस्तीफा Vice President (उपराष्ट्रपति) को देता है।

art-(62) :- राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भर जाना चाहिए

6 महीने के दौरान

रिक्त
- इस्तीफा
- मृत्यु
- Impeachment

acting president (post) Vice president (उपराष्ट्रपति)
↓
CJI
↓
(30) judges

President of India —

(1) डा० राजेन्द्र प्रसाद (1952 — 1962) [दो बार elected]

(2) डा० सर्वपल्ली Radhakrishnan (1962 – 1967)
→ इनके Birthday पर — 5 sep को — राष्ट्रीय शिक्षक दिवस (national Teachers day)

5th oct – International teachers day

(3) डा० जाकिर हुसैन (1967 — 1969)

1st president जिनकी कार्यकाल (Tenure) के दौरान मृत्यु हुई

Replace — V.V. Giri (acting president)

↓ then

Justice M. Hidaitullah (CJI)

(4) V.V. Giri (1969 – 1974)

⑤ Dr. Fakhruddin ali Ahmed (1974- 1977]
कार्यकाल के दौरान मृत्यु

acting president — B. D. Jatti (बासप्पा दनप्पा जत्ती

⑥ Dr. नीलम संजीव Reddy (1977 - 1982)

⑦ सरदार ज्ञानी जैल सिंह [सबसे कम पढ़े लिखे] [1982-1987]
↳ called - stamp of Indira Gandhi

⑧ R. वेंकट रमन [1987 - 1992]
↳ Ramaswamy

(9) Dr. शंकर दयाल शर्मा (1992 - 1997]

⑩ Dr. K. R. नारायणन (1997 - 2002] [Kocheril Raman Narayanan]
[1st SC president of India]

⑪ Dr. A. P. J Abdul Kalam [2002 - 2007]

(12) Smt. प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (2007 - 2012] (पहली महिला)

(13) प्रणाम मुखर्जी (2012 - 2017]

(14) राम नाथ कोविन्द (2017 - 2022)

(7th of may) Powers of the President —

① प्रसाशनिक (administrative शक्तियां - कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है।

भारत का राष्ट्रपति भारत के निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।

1. Prime minister
2. Cabinet ministers – प्रधान मंत्री की सलाह पर Council of (मंत्री परिषद)
3. राज्यों के राज्यपाल
4. judges of SC and HC [उच्चतम न्यायालय & उच्च
5. AG (भारत का महान्यायवादी)
6. भारत का महाधिवक्ता (Solicitor General]
7. CAG [Comptroller auditor General]
   नियंत्रक महालेखा परीक्षक
8. (UPSC) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों
9. (भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त] chief election Commission of India
10. भारत के निर्वाचन आयुक्त [election Commission of India] and its members [2 other]
11. वित्त आयोग का अध्यक्ष [Chairman of finencial Commission
12. Cabinet सचिव (sacroty)
    → (केन्द्रीय)
13. राजभाषा आयोग का अध्यक्ष
14. अनुसूचित जाति व जनजाति
    SC & ST आयोग का अध्यक्ष (Chairman]
15. अल्प संख्यक आयोग का अध्यक्ष
16. भारतीय राजदूत [Indian Ambesider]

(17)? heads of military forces of India

Force

military force — सैन्य बल — भारत की बाहरी शान्ति बनाये रखना

head President { Ex Indian Army सेना, Indian Navy नौसेना, Air force वायु सेना } etc

Para - military force — अर्ध सैन्य बल — आन्तरिक शान्ति बनाये रखने के

Under - ministry of Home affairs

Ex - CRPF, CISF, BSF, NSG (National security Guard).

विधायिक शक्तियां [Legislative powers]

* art (79) :- इस art के तहत भारत की संसद राष्ट्रपति, LS, RS को मिलकर बनी होती है।
तथा राष्ट्रपति ही संसद का अध्यक्ष होता है।

* art (85) के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों (अलग Hall) को सत्र (Session) के लिए बुलाता है।
→ दो सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं
→ वह LS (लोकसभा) को (भंग) भी कर सकता है। Prorogate

monsoon Session
winter Session
Budget Session

* art (86) के तहत सरकार (new) का प्रथम सत्र तथा Budget सत्र की सुरुवात राष्ट्रपति के भाषण से start होता है।

* Art (108) के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन (joint Session) के लिए बुला सकता है
जब कोई Bill पास ना हो
अध्यक्षता (joint Session) — Speaker of LS
अध्यक्ष

* → भारत का राष्ट्रपति एक विधेयक (Bill) को एक ही बार वापस कर सकता है पुनर्विलोकन (Review) के लिए
Except — money Bill
Coz — पेश होता है President की अनुमति

Veto power —

① absolute veto (आत्यान्तिक वीटो) — इस Veto के तहत भारत का राष्ट्रपति Bill (विधेयक) के लिए अनुमति नहीं देता
Ex 1954 में राजेन्द्र प्रसाद — PEPSU Bill

② Suspensory Veto (विलम्बकारी वीटो) — इस veto के तहत भारत का राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विलोकन (Review) के लिए लौटाता है (संसद में)

③ Pocket Veto (जेबी वीटो) — इस वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति (हस्ताक्षर) ना तो Sign करने लिए मना कर सकता है और ना ही Bill को पुर्नविलोकन के लिए लौटाता है

Under Consideration

Ex Indian post Bill

President
- भारतीय डाक विधेयक 1986
- → सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने

when Pm → (राजीव गांधी)

* art 123 – राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

जब कोई सत्र ना चल रहा हो → (ordinance) → 6 हफ्तों ($1\frac{1}{2}$ month) के भीतर बाद में संसद द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है

Validity – 6 month

[1861 – Indian Council act (भारतीय परिषद अधिनियम)
↳ सबसे पहले अध्यादेश जारी करने की ~~सकती~~ शक्ति → Lord Canin

भारत के वायसराय [1856-1862]

Military Powers (सैन्य शक्तियां)

* भारत का राष्ट्रपति ही भारत के सभी सैन्य बलों का अध्यक्ष होता है।

* और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना सैन्य बल कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते [सलाह – Counsil of min तथा अपने pm से]

Judicial Power [न्यायिक शक्तियां]

* Supreme Court तथा Heigh Court के सभी न्यायधीशों की नियुक्ति

* art (72) के तहत – राष्ट्रपति की क्षमादान (Pardon) करने की शक्ति

Same power – राज्य में राज्यपाल को

except – मृत्युदण्ड

आपातकालीन शक्तियां [Emergency Power]

art (352) :- राष्ट्रीय आपातकाल (National emergency) की घोषणा

तीन बार लगी
1962
1971
1975

सलाह — pm तथा Council of min

when — बाहरी आक्रमण, भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध
भारत मे जनता द्वारा प्रशस्त्र विद्रोह
fundamental right ✗

art (356) :- राज्य मे राष्ट्रपति शासन [President Rule]

when — राज्य मे मुख्यमंत्री प्रशासन चलाने के योग्य नही
इसमे प्रसासन (राज्यपाल) के हाथ मे आ जाता है
President से कहता है

art (360) :- वित्तीय आपातकाल की घोषणा [Financial Emer..]

when — इसमे अर्थव्यवस्था मे संकट आने मे
→ इसके लगाने से लोगो के वेतन मे कमी की जाती है

ये आजतक भी लागू नही की गयी है

art (143) के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर भारत के मुख्य न्यायधीश की सलाह ले सकता है
पर सलाह को मानना जरूरी नही है।

(8th of may) Vice President (art - 63-71)
उपराष्ट्रपति

art 63 :- भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा

art64 - भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन (RS) का सभापति होती है
(Chairperson)
ex-officio

art65 :- भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालेगा

art66 :- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन (By - निर्वाचन आयोग)
लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है।

art67 - उपराष्ट्रपति का कार्यकाल - 5 years from the oath taking

67(A) कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है

☆ 67(B) उपराष्ट्रपति का निलम्बन [Removable]
RS power > LS
उपराष्ट्रपति को संसद के केवल उच्च सदन (RS) द्वारा हटाया जायेगा।
राज्य सभा की शक्ति > लोकसभा

उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ -
1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए
2. वह न्यूनतम 35 वर्ष आयु का होना चाहिए
3. वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए
4. वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है

art(68) -

art(69):- उपराष्ट्रपति की सपथ (Oath) — By President

art(71):- उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को संसद में कम सदस्यों की मौजूदगी के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता।

उपराष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः तुरन्त भर जाना चाहिए

संसद का कोरम ($\frac{1}{10}$) सदस्य होने चाहिए

उपराष्ट्रपति के कार्य —

① राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार सम्भालेगा

② RS में कोई Bill Tie हो जाता है तो निर्णायक फैसला लेता है

③ Vice President, President के साथ University के Chansler (कुलाधिपति) के रूप में काम कर सकता है

Central Uni Chanslor — Vice Chanslor (कुलपति)

④ यह राज्य सभा का सभापति है तो RS की अध्यक्षता इसकी अनुयायी होगी

⑤ राज्य सभा में कोई विवाद होने पर अन्तिम निर्णय इसका होता है।

Council of the ministers of Union

संघ का मंत्री परिषद (size < 15% LS)

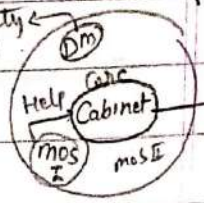

art(74):- भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा।

तथा उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा

mos — mos I Independent स्वतंत्र प्रभार (राज्य मंत्री), mos II dependent (राज्य मंत्री प्रभार)

art(75) प्रधानमंत्री का निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।

केन्द्रीय मंत्री (Cabinet ministers):- यह मंत्रियों की एक समीति होती है।

जो संघ के महत्वपूर्ण विभागो के लिए नियुक्त की जाती है।
एक मंत्री एक से अधिक विभाग / मंत्रालयों का भी मंत्री हो सकता है।

State minister (राज्य मंत्री) :-

- Independent — स्वतंत्र प्रभार
- dependent — अस्वतंत्र प्रभार

उपमंत्री (Deputy minister) :- केन्द्रीय मंत्री तथा राज्य मंत्री को Help करना

→ 91 वे संविधान संसोधन 2003 के तहत मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या (15%) (कुल सदस्यों का) तक निर्धारित कर दी।

when - सदस्यों की संख्या कम हो विधान सभा मे → max - 12

art 75(3) :- मंत्री परिषद का कार्यकाल — सामुहिक रूप से depent on LS विश्वास

per person depend on - PM
Normally - 5 year

प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य (duties)

Art 78 - प्रधानमंत्री का कर्त्तव्य होता है कि वह संघ के प्रशासन की जानकारी राष्ट्रपति को दे

→ प्रधानमंत्री की सलाह से महान्यायवादी
AG, Solicitor General, महाधिवक्ता
CAG [नियंत्रक महालेखा परिक्षक]
वित्त आयोग का अध्यक्ष
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
UPSC अध्यक्ष

→ प्रधानमंत्री निम्न विभागों का अध्यक्ष होता है

* NITI आयोग [पहले - योजना आयोग]
National Institute for Transforming India
Change - 1 Jan 2015

* NDMA [National disaster management authority
राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण]

* NDC [Nation Development Council]
राष्ट्रीय विकास परिषद

* IDA [Islands development authority]
द्वीपीय विकास प्राधिकरण

* Population Control Board (जनसंख्या नियंत्रक बोर्ड)

* wild life Conservation (वन्य जीव संरक्षण)

Project tiger - इन्दिरा गांधी कैलाश खोसला - बाघ मामा called

* National unity Council (राष्ट्रीय एकता परिषद]

* National water resource Council (राष्ट्रीय जल संसाधन परिसर]

उपप्रधान मंत्री [Deputy Primeminister]

उपप्रधान मंत्री का पद संवैधानिक [Constitutional] नहीं है लेकिन प्रधान मंत्री को अधिकार है कि वह अपने लिए उप-प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है।

Ex Deputy Prime - minister of India

(1) सरदार वल्लभ भाई पटेल (1947]
pt Nehru के time period मे

(2.) गुलजारी लाल नन्दा (1966) - Indira gandhi के Time Period
(दो बार)

(3) मोरारजी देशाई (1966] — ".

(4) चौ० चरन सिंह और बाबू जगजीवन राव (1977]
मोरारजी देशाई के Time period pm के

(5) वाई० वी० चौहान (1979] — pm - चौ० चरन सिंह

(6) चौ० देवी लाल (1990) — चन्द्रशेखर के Time Period

Last 7 (उपप्रधान मंत्री]

(7) लाल कृष्णनन आडवानी (2002] - अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में

Salary — President decide
Term President के प्रसाद पर्यन्त तक

art (76) - (AG) भारत का महान्यायवादी - यह भारत का सबसे बडा विधि (वकील) आधीकारी होता है
इसका पद मुख्य न्यायधीश के बराबर होता है।

work — To check that संविधान (भारत में) का पालन होता है या नहीं

art 88 के तहत AG यह किसी भी वक्त उच्चतम न्यायालय LS तथा RS मे जाकर बैठ सकता है तथा बहस भी कर सकता है
Vote करने का आधिकार नहीं होता LS & RS

योग्यताए - वही जो {CJI / SC के जजों} की योग्यताए होती है

(1) वह भारत का नागरिक होना चाहिए
(2) 10 वर्ष तक HC मे वकालत की हो
5 वर्ष उच्च न्यायालय (HC) का न्यायधीश रहा हो या
(3) इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
सपथ ↗ ↖ त्यागपत्र
(4) वेतन तथा भत्ते भी depend on President
(5) President की नजरों मे Distinguished Jurist (विधिवेत्ता) हो

Note:- भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर इसकी वकालत भी Attorney General करता है।

(13th g may)

Legislature of Union (art 79 to 122)
(संघ की विधायिका)

art (79) :- भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी होगी

art (80) :- राज्यसभा की संरचना [Composition]

→ राज्यसभा संसद का उच्च सदन [Upper house] होती है

→ इसमे 250 सदस्य होते है जिनमे 238 सदस्य को चुनाव राज्यो की विधान सभा [State legislative assemble] से किया जाता है और 12 सदस्यो की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है

→ 12 members related to :- Art (कला), Science साहित्य (Literature), Social work [सामाजिक कार्यो] से

→ राज्यसभा के सदस्यो का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

→ राज्यसभा को कभी भी भंग (Dissolve) नही किया जा सकता लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है।

art (81) :- लोकसभा की संरचना

→ लोकसभा संसद का निम्न सदन [Lower house] होती है।

→ इसमे अधिकतम 552 सदस्य हो सकते है जिसमे 2 आंग्ल भारतीयो [Anglo Indian] की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन अन्य सदस्यो को जनता

निर्वाचन में चुना जाता है
के द्वारा लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किया जाता

→ वर्तमान में LS में 545 सदस्य है

art(82):- प्रत्येक जनगणना के बाद LS एवं RS की सीटों में बदलाव

art(83):- संसद की कार्यकाल [i.e LS → 5 years from नई सरकार के प्रथम सत्र से]

आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

Initially 6 month तक emg then → then 6 month again

Ex- 1976 - ऐसा इन्दिरा गांधी की सरकार में दो बार हुआ है।

art(84):- संसद के सदस्यों की योग्यताएँ —

राज्यसभा - वह भारत का नागरिक होना चाहिए
वह न्यूनतम 30 वर्ष आयु का होना चाहि
वह किसी भी लाभ के पद पर नही होना चाहिए

लोकसभा का सदस्य बनने की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए

art(85):- भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलायेगा।

लेकिन दो सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से अधिक नही हो सकती

राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह संसद (LS) को भंग (Prarogate) कर सकता है।

art 86 :- राष्ट्रपति
बजट सत्र एवं नयी सरकार की प्रथम सत्र मे राष्ट्रपति का अभिभाषण (Speech)

art 87 :- संयुक्त अधिवेशन (joint session) के दौरान संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण

art 88 :- भारत का महान्यायवादी (AG) चाहे तो वह किसी भी वक्त SC, LS, RS मे जाकर बैठ सकता है बहस भी कर सकता है। But वोट नही कर सकता

प्रावधान जिनमे RS की शक्ति LS से अधिक है

★ art 249 (213) यदि राज्य की विधान सभा [Legislative assembly] राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण घोषित कर देती है तो उसपर कानून केन्द्र (Centre) के द्वारा बनाया जाता है

★ art 312 - अखिल भारतीय सेवाए [all India Services]
3 होती है

① IAS [Indian administrative Service]

② I.P.S [Indian Police Service]

③ 1966 add I.F.S — Indian Forest Service
(भारतीय वन सेवा)

art 67(B) :- उपराष्ट्रपति का निलम्बन from राज्य सभा only.

art(89) :- राज्यसभा के लिए एक सभापति [chairperson] और उपसभापति (Vice-chairperson) का प्रावधान

→ उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है [ex-officio of Rajya Sabha]

→ उपराष्ट्रपति (सभापति) of RS की अनुपस्थिति में उपसभापति ही उसका कार्यभार सभालता है।

→ सभापति अपना स्तीफा President को सौंपता है तथा उपसभापति अपना स्तीफा सभापति को सौंपता है।

art 93 - लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) तथा LS उपाध्यक्ष का प्रावधान (Deputy Speaker)

→ LS अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार सभालेगा।

→ ~~#~~ LS अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने स्तीफे एक दूसरे को सौंपेंगे

art(94) :- LS के अध्यक्ष को LS के ही सदस्यों द्वारा निष्कासित किया जा सकता है।

No need RS

गणेश वासुदेव

Ex – G. V. मावलंकर [1st Speaker of LS] – (1952) – (1956)

(1956) में इन्हे LS के द्वारा निलंबित किया गया था

But MP रहेंगे

→ पहली महिला LS Speaker – मीरा कुमार

→ कार्यकाल के समय मृत्यु LS Speaker → G.M.C बालयोगी (1998–2002)

art (100) :- संसद की गणपूर्ति (कोरम)

कोरम min → 1/10

संसद में सत्र शुरु करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपास्थिति ही संसद की गणपूर्ति कहलाती है।

सत्र को LS speaker स्थगित कर सकता है

(adjournment) → (निश्चित)

adjournment sinedie
अनिश्चीत काल के लिए
स्थगीत करना

art (101) :- संसद के सदस्यों की अयोग्यताए

→ यदि संसद का कोई सदस्य लगातार 60 day सत्र से अनुपास्थित रहेगा तो उसे संसद के लिए अयोग्य समझा जायेगा

↳ यह काम President करेगा सदस्यता छीनना

Chief elec Com
सलाह लेगा — भारत का निर्वाचन आयोग
मुख्य

★ art (102) :- एक अयोग्य सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर रद्द की जायेगी

art (103) :- यदि निष्कासित सदस्य सत्र में जाता है तो उसे प्रतिदिन 500 ₹ जुर्माना वसुल किया जायेगा

Note art (101) संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं

① अगर संसद के सदस्यों की भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाती है तो वह संसद के लिए अयोग्य करार कर दिया जाता है

② अगर एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित हो जाये [10 दिन के भीतर किसी एक सदन को choose करे]

14th of may

Bills (विधेयक)

विधेयकों के चार प्रकार होते हैं

① Ordinary Bill (साधारण विधेयक)

② Finance Bill (वित्तीय विधेयक)

③ Money Bill (धन विधेयक)

④ Ammendment Bill संशोधन विधेयक

① साधारण विधेयक :- art (107) के तहत एक साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन मे पेश किया जा सकता है

→ दोनो सदनो से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा

→ राष्ट्रपति इसे एक बार पुर्नावलोकन के लिए लौटा सकता है ।

art 108 → राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह संयुक्त अधिवेशन (joint session) बुला सकता है

joint session applicable only for → साधारण Bill / → वितीय

संयुक्त अधिवेशन को धन विधेयक और संसोधन विधेयक के लिए नही बुलाया जा सकता ।

अब तक तीन बार बुलाया जा चुका है joint session

(अध्यक्षता)
↓
Speaker (अध्यक्ष)
Deupty Speaker (उपाध्यक्ष)
(उपराष्ट्रपति) सभापति of RS
↳ Speaker, Deupty speaker absence मे

joint session

(1.) 1961 - दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम विधेयक
(Prohibition of dowery Bill)

(2.) 1978 - Banking Service Commission Bill
(बैंक सेवा आयोग विधेयक)

(3) 2002 - (anti-Terrorism Bill)
आतंकवाद निवारण विधेयक

art (110) धन विधेयक की परिभाषा

→ धन विधेयक को सदैव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।
→ और वह विधेयक एक धन विधेयक है वह LS अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है।
→ एक धन विधेयक को केवल LS द्वारा पारित (2/3 बहुमत) किया जाता है।
→ और उसके बाद उस विधेयक को RS [राज्यसभा] में भेजा जाता है [(14) Days के लिए]
→ 14 दिन के भीतर राज्यसभा समर्थन के साथ विधेयक को लोकसभा में लौटाती है और फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
→ धन विधेयक पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है।

★ art (112) - Annual Financial statement
संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण
↓ known as
(Union Budget संघीय बजट)

संसद में बजट की प्रक्रिया - प्रत्येक वर्ष सष्ट्रपति संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सत्र बुलाया जायेगा और
→ इस सत्र को बजट सत्र कहा जाता है

इसे भी केवल लोकसभा में पेश किया जाता है

वार्षिक वित्तीय विवरण :-

बजट में तीन प्रकार की निधि होती है।

① Consolidated Fund (संचित निधि) — power - parliament

② Contigency fund (आकास्मिक निधि) :- power - राष्ट्रपति

③ Public account fund (लोक लेखा निधि) :-

art(117) - वित्तीय विधेयक :- वो विधेयक जो राजस्व (Revenue) और करो से सम्बन्धित होता है वित्तीय विधेयक कहलाता है
दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य है

art(368) संसोधन विधेयक :- art(368) संसद को आधीकार होता है कि वह भारत के संविधान में संसोधन कर सकती है।

art(120) :- संघ की न्यायपालिका संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नही कर सकती

art(122) :- संसद की आधिकारिक भाषा हिन्दी होगी But
विचार in any language

art (123) :- राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
(ordinance)

(सत्र आने पर) 6 weeks के भीतर रद्द हो जाता है

Validity — 6 month + 6 week
(7 $\frac{1}{2}$ month)

Judiciary of Union
संघ की न्यायपालिका

art (124 – 146)

भारत का उच्चतम न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय)
Supreme Court

art 124 (1) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा

गठन – 1774 कोलकाता

लार्ड क्लिवा इसके 1 – Chief justice
3 other judges

(shift) 1935 – दिल्ली

आजादी के बाद
गठन (1950) → (1) CJI
& 7 other judges

1956 मे जजो की संख्या = 10

1960 मे judges की संख्या = 13

1977 में Judges = 18

1986 में Judges = 26

2008 में जजों की संख्या 31

आधिकार संसद ⊕ But appoint President

मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायधी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
तथा अन्य न्यायधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायधीश की सलाह पर

उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशो की योग्यताए

→ वह भारत का नागरिक होना चाहिए
→ वह 65 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए
→ वह न्यूनतम उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायधीश रहा हो या उसने न्यूनतम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो
→ मुख्य न्यायधीश की अनुपास्थिति में अगला वरिष्ठतम न्यायधीश ही उसका कार्यभार सम्भालेगा।
→ इसके जजों को सपथ President दिलाता है।
→ स्तीफा भी President को
→ सेवानिवृत होने के बाद उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नही कर सकता तथा वकालत भी नही कर सकता

सेवानिवृत होने के बाद (Head)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
National Human Rights Commission

नदी विवाद समिति
River dispute Committee

15th may

art 125 - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशो के वेतन और भत्तो के बारे मे
(allowances)
इनके वेतन एव भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किये जाते है
जो भारत की संचित निधी के द्वारा दिये जाते है।

art 126 :- CJI की अनुपस्थिति मे अगला वरिष्ट न्यायधीश (उच्चतम न्यायालय का) ही उसका कार्यभार सभालेगा।

art 127 :- उच्चतम न्यायालय मे अतिरिक्त न्यायधीशो की नियुक्ति

CJI को अधिकार होता है कि वह ~~उच्च न्या~~ राष्ट्रपति की अनुमति से अधिकतम 2 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय मे कर सकता है।
Called additional judge (अतिरिक्त न्यायधीश)

art 128 :- उच्चतम न्यायालय मे सेवानिवृत्त न्यायधीशो की नियुक्ति
CJI को अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति से अधिकतम 2 वर्ष के लिए

~~art~~ min bench = 3 judges
फैसला मतदान के आधार पर सुनाया जाता है।
Exception president सलाह मांगे तो 5 judges की Bench होनी चाहिए

Art 129 :- उच्चतम न्यायालय एक Record अभिलेख न्यायालय है तथा सभी उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णयों (decision) का पालन करे

Art 130- सर्वोच्च न्यायालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी तथा राष्ट्रपति कार्यालय के नजदीक होना चाहिए

Freedoms of Supreme Court
उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता

(1.) भारत का राष्ट्रपति सदैव उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायधीश से सलाह लेगा
But CJI की appointment (advise of PM) President

(2.) कार्यकाल के दौरान SC के न्यायधीशों के वेतन एवं भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जायेगी

(3.) सभी न्यायधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिये जायेंगे और इसे संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता
2015 से Paper less (Supreme Court)

Art 132 :- उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह किसी भी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकता है।

Art 136- Supreme Court को अधिकार है कि वह High Court

मे दिये गये किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता है।

art(137):- Supreme Court को अधिकार है कि वह अपने द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है।

art(138):- सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को अपने अन्तर्गत ले सकता है।

Ex – बाबरी मास्जिद Case [allahabad High Court]

art(143)- राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह मुख्य न्यायधीश से सलाह ले सकता है। (power of president)

art(146) सर्वोच्च न्यायालय मे सभी भर्तियां मुख्य न्यायधीश के द्वारा संचालित की जायेगी।

★★ art(148)- CAG (भारत का नियंत्रक महालेखा परिक्षक)
Comptroller and auditor General of India

AAO – assistent

इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है

योग्यतायें :- ① भारत का नागरिक होना चाहिए
② age – 65 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए
③ न्यूनतम 10 वर्षों से किसी भी सरकारी पद पर रह चुका है
④ सपथ → President ← इस्तीफा
⑤ 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु – कार्यकाल
जो भी पहले Complete हो

7th of May 2020

Part-06 state (राज्य)
art (152 - 236)

Executive of State (art-153-167)
राज्य की कार्यपालिका — मिलकर बनी है

Governor, Council of min, CM (chief minister / मुख्यमंत्री)
advocate General (राज्य का महाधिवक्ता)

Legislature of state (168-213) चलती है
राज्य की विधायिका

Ex- HR = 90 विधान सभा

(LC) max

Legislative division (राज्य का विधान मंडल)

राज्यपाल Governor	Legislative Council राज्य का विधान परिषद	Legislative assembly विधान सभा
(153)	decide parlia (7 states में है)	min-60
	min = 40 (max - $\frac{1}{3}$ MLA)	max - 500
	art (171)	(170)

Judiciary of states
राज्य की न्यायपालिका :- art-(214-231)
↳ Run by - High Court (उच्च न्यायालय)

जिला न्यायालय → 5 लाख

Executive of state (art-153-167)
राज्य की कार्यपालिका

art 152 :- इस भाग मे जम्मू और कश्मीर को सम्मिलित नही किया गया है क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य के

लिए संविधान के अनु० (370) में विशेष प्रावधान किये गये है।

महाभियोग नहीं लगाया जाता

राज्यपाल [head of the executive of state]
Governor (153-162)

art 153 :- प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
एक ही व्यक्ति ~~एक~~ दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है [depend on President]

art 154 :- राज्य का राज्यपाल ही उस राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा

art (155) :- राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
राष्ट्रपति के ही द्वारा इसे इसके पद से हटाया जाता है
और इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित भी किया जा सकता है।
राष्ट्रपति की ही तरह राज्यपाल को न तो गिरफ्तार किया जा सकता और ना ही किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया ~~नहीं~~ जायेगा

art 156 :- राज्यपाल का कार्यकाल
इसे 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है
लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर बना रह सकता है।

art (157) :- राज्यपाल पद के लिए योग्यताएँ
→ वह भारत का नागरिक होना चाहिए
→ वह न्यूनतम 35 वर्ष का होना चाहिए
→ वह किसी भी लाभ के पद पर नही होना चाहिए
→ वह राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नही होना चाहिए
→ वह विधान सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

office - (158) रहने के लिए राजभवन

art (159) :- राज्यपाल की सपथ -
(HC) उच्च न्यायालय का न्यायधीश (मुख्य) दिलवाता है तथा इसकी अनुपास्थिति में उच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायधीश

President = राज्यपाल की शाक्तिया :- सैन्य शाक्ति और आपातकालीन शाक्ति को छोडकर इसकी सारी शाक्तिया राष्ट्रपति वाली है (की तरह)

Executive Power (कार्यकारी शाक्ति) - राज्य का प्रसासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है।

→ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा

→ लेकिन मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है।
→ राज्य के सभी जिला न्यायधीशो की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

But Sikkim में – Buddhist

→ यह विधान सभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है

→ विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जाती है।

→ यह उच्च न्यायधीशों (न्यायलय) की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है

But यहां में नहीं राज्यपाल

विधायिक शक्ति (Legislative Power)

Art (168) – के तहत राज्यपाल राज्य के विधान मण्डल का आभिन्न अंग होता है।

यह विधान सभा को भंग कर सकता है। और यही सर्वप्रथम विधान सभा को सत्र के लिए बुलाता है।

यह राज्य में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है।

[Note – only applicable for (7) states]

J&K, UP, Bihar, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना

Art (213) – राज्यपाल की शक्ति होती है कि वह अध्यादेश जारी कर सके राज्य में

→ प्रत्येक 5 वर्षों के बाद राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।

राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति

— × — × — × — × —

मृत्युदण्ड को छोड़कर

राज्य का मंत्री परिषद — Council of ministers of state

art(163) — राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा

और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्य मंत्री होगा।

art 164 — मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है एवं अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं।

राज्य का महाधिवक्ता (advocate General) — HC chief justice

art 165 :-
→ यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
→ इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
→ इसका पद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के बराबर होता है।

(76) AG Attorney General

योग्यताएँ :- HC के judge बनने जैसी

→ वह भारत का नागरिक होना चाहिए
→ या तो वह 10 वर्ष तक न्यायधीश के पद पर रहा हो या उसने 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो

→ No age limit.

(21st of may)

Legislature of State (art 168-213)
(राज्य की विधायिका)

213 — ordinance Power of Governor

★ art 168 - प्रत्येक राज्य का एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधान सभा से मिलकर बना होगा
लेकिन केवल (7) राज्य ऐसे हैं जिनमे विधान परिषद का गठन किया गया है

J&K, UP, Bihar, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना

द्विसदनीय बैठक होती है यहा

art 169 - किसी भी राज्य में विधान परिषद [Legislative Council] का गठन करना तथा भंग करने का अधिकार केवल संसद को है

art 170 - विधान सभा [Legislative assembly] की संरचना

→ विधान सभा के सदस्यो कि की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है
→ इसे निम्न सदन कहा जाता है।
→ इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से विधान सभा चुनाव मे निर्वाचित किये जाते है।
→ एक राज्य की विधान सभा मे न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 500 हो सकते है।

★ art 171 :- विधान परिषद [Legislative Council] की संरचना

→ इसे उच्च सदन कहा जाता है।
→ और इसके सदस्यो का निर्वाचन राज्यो की विधान सभा के द्वारा किया जाता है
→ विधान परिषद मे न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम $\left(\frac{1}{3} \text{mLA}\right)$ विधान सभा के सदस्यो का 1/3

सदस्य नगरपालिका चुनाव से आते हैं
→ 1/3 सदस्य राज्य की विधान सभा के सदस्यों
→ 1/3 द्वारा निर्वाचित होते हैं
सदस्य Seniary Secondary School के अध्यापक
→ 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय स्नातक (Graduate)
1/12
→ 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है।

विधान मण्डल का कार्यकाल [विधान सभा]

art 172 :- विधान मण्डल — Per person - 6 year, overall → अनिश्चित काल तक
नयी सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष तक

art 173 :- MLA तथा MLC की योग्यताए (सदस्यों की)
विधान सभा (25 year) — विधान परिषद (30 year)

art 174 - विधान सभा को भंग करना → राज्यपाल
राज्यपाल विधान मण्डल के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलायेगा

art 175 :- विधान सभा में राज्यपाल का अभिभाषण

art 176 विधान सभा मे राज्यपाल का विशेष अभिभाषण [i.e joint session] [President art 108]

art 178 :- विधान सभा के अध्यक्ष (Speaker) एवं उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का प्रावधान

art 179 :- विधान सभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने स्तीफे एक दूसरे को सौंप सकते है

विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निलम्बन

Start - विधान सभा से then 14 day Notice

art 180 :- विधान सभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार सभालेगा

विधान सभा की शक्तिया —

(1) राज्य सूची एव समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति विधान सभा को है।

(2.) यदि विधान सभा किसी विधेयक को विधान परिषद को सौंपती है और विधान परिषद द्वारा उस विधेयक को रद्द कर दिया जाता है तो विधान सभा उस विधेयक को दोबारा पारित कर सकती है

3 month (LC)
1 month
automatically passed

(3.) यदि विधान सभा किसी विधेयक को Governor को दो बार सौप देती है तो इस विधेयक Governor को Sign करना अनिवार्य है।

(4.) एक धन विधेयक केवल विधान सभा मे ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्य के बजट पर भी विधान सभा का ही नियंत्रण होगा

(5.) यदि किसी धन विधेयक को विधान परिषद मे भेजा जाता तो विधान परिषद उस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है [automatically passed]

art 189 :- विधान मण्डल की गणपूर्ति (कोरम) → (1/10)

योग्यताएं

art (200) :- राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है।

art (202) :- राज्य का वार्षिक वित्तिय विवरण (Budget of state)

art 213 :- राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

total validity - $7\frac{1}{2}$ month
Normal — 6 month

राज्य की न्यायपालिका (214 to 231)
(Judiciary of state)

Run by
High Court (उच्च न्यायालय)

art 214 - प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा

art (231) - दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है

गठन - 1861 Indian High Court act
(भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम)

3 थे → Calcutta, madras, Bombay

then
1866 मे (इलाहबाद) उच्च न्यायालय का गठन किया गया
↓
Biggest high Court of India

1966 में गठन — Delhi High Court

Ex- Common High Court — Total HC (25)
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़

Last - अमरावती (आन्ध्र प्रदे. तेलंगाना)

art 215 — उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा सभी अधीनस्त न्यायालयो का कर्तव्य है कि वह उच्च न्यायालय का पालन करे

art 216 - उच्च न्यायालय की संरचना एवं गठन

एक उच्चन्यायालय एक मुख्य न्यायधीश तथा अन्य न्यायधीशो से मिलकर बना होता है और उच्च न्यायालय के सभी न्यायधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

art 217 - मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर करता है।
तथा अन्य न्यायधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायधीश की सलाह पर करता है।
SC का

कालोजियम (collegium)

उच्च न्यायालय के न्यायधीशो की योग्यताए

भारत का नागरिक होना चाहिए
वह 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए
वह 10 वर्ष न्यायधीश (megistate) के पद पर रहा हो
या उसने उच्च न्यायालय मे न्यूनतम 10 वर्ष वकालत की हो

SC - 65
5 year ...
10 year ...

उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को शपथ - राज्यपाल

art 219 -

art 220 :- सेवानिवृत होने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायधीश उच्चतम न्यायालय के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकते (भारत में)

art 226 :- उच्च न्यायालय की writ निकालने की शक्ति

art 230 :- उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायधीश के द्वारा संचालित की जाती है

22nd of may

जिला न्यायालय [District Court]

art 233 :- राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा। जो जिला न्यायधीश एवं अन्य न्यायधीशों से मिलकर बना होगा

(P) Head (जिला) ↓ जिला न्यायालय — न्यायधीश, other न्यायधीश

जिला न्यायधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
↳ HC की सलाह से (न्यायधीश)

योग्यताएं (जिला न्यायधीश के लिए)

→ वह भारत का नागरिक होना चाहिए
→ वह 60 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए
→ वह 7 वर्ष न्यायधीश के पद पर रहा हो या उसने 10 वर्ष जिला न्यायालय में वकालत की हो

art 234 - न्यायिक (PCSJ) सेवाओं में सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) के द्वारा संचालित की जाती है।

भाग - 8

UNION TERRITORIES (संघ शासित क्षेत्र)

art (239 - 241)

art 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चलाया जायेगा और इसके लिए राष्ट्रपति एक प्रशासक [administrator] की नियुक्ति करेगा

art (239) (a) संसद को अधिकार है कि वह विधान सभा को संघ शासित क्षेत्रों में गठन या उसका विघटन कर सकता है।
Ex - (Delhi & Puducherry)

art (240) राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधी का निर्माण करना

art (241) - प्रत्येक UT के लिए एक उच्च न्यायालय होगा
But we have only in Delhi

UT	Executive head कार्यपालिका	Judiciary न्यायपालिका
(1) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	deputy Governor (उपराज्यपाल)	कोलकाता उच्च न्यायालय
(2) चंडीगढ	प्रशासक (administrator)	पंजाब & हरियाणा High Court
(3) दादरा एवं नगर हवेली	प्रशासक	बॉम्बे उच्च न्यायालय

Bombay-Goa, ⁿ

④ दमन एवं द्वीप	प्रशासक	बॉम्बे उच्च न्यायालय
⑤ Delhi	उपराज्यपाल (Lt. Governor) + CM मुख्य मंत्री	Delhi High Court
⑥ लक्षद्वीप	प्रशासक	एरनाकुलम उच्च न्यायालय (केरल)
⑦ Puducherry	उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री	मद्रास उच्च न्यायालय

Part-14 art (312-323)

Services under Union & State
संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं

★ art 312 अखिल भारतीय सेवाएं [all India Services]

हमारे पास 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं

① भारतीय प्रशासनिक सेवा [Indian administrative Service]
② भारतीय पुलिस सेवा [Indian Police Service]
③ भारतीय वन सेवा [Indian forest Service]

RS की Power LS से ज्यादा

★ art 315 - संघ के लिए UPSC [संघ लोकसेवा आयोग] और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा

UPSC → Union public Service Commission (संघ लोकसेवा आयोग)

State PSC → State public Service Commission [राज्य लोक सेवा आयोग]

दो या दो से अधिक राज्यो के लिए एक (State PSC) राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है

art 316 सदस्यो की नियुक्ति एव उनके कार्यकाल

UPSC	State-PSC
UPSC अध्यक्ष एव अन्य सदस्यो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।	State-PSC के अध्यक्ष [chairman] एव सदस्यो की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती।
UPSC मे सदस्यों की संख्या 9 से 11 होती है। इनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित की जाती है।	State-PSC मे सदस्यो की संख्या राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है state to state varry
कार्यकाल UPSE chairman 6 year or 65 year age	कार्यकाल - State-PSE chairman 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु
योग्यताए - ① भारत का नागरिक ② आयु < 65 ③ 10 साल का किसी सरकारी पद पर अनुभव (सरकारी ↓ normally IAS officer)	① भारत का नागरिक ② आयु < 62 year ③ 10 साल का अनुभव किसी राज्य सरकारी पद पर
यह अपना (अध्यक्ष) अपना स्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है	State-PSC का अध्यक्ष अपना स्तीफा राज्यपाल को सौंपेगा
निलम्बन :- art (317) UPSC अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जायेगा	राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की सलाह से हटाया जायेगा

Salary from - संचित निधि से

Salary में कमी नही की जा सकती

राज्य की संचित निधि से

art (318) [UPSC अध्यक्ष] एवं State - PSC अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

art (320) :- UPSC आयोग तथा State - PSC का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष Civil exam करवाये
Services
[नागरिक सेवा परीक्षाओ]

art (323) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह (राष्ट्रपति) के समक्ष वार्षिक परीक्षाओ का विवरण प्रस्तुत करे

28th of may

भाग - 15

भारत का निर्वाचन आयोग

[Election Commission of India]

art (324 - 329)

art (324) - भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा
जो एक स्वतंत्र निकाय होगा
निर्वाचन आयोग के द्वारा चार चुनावो का संचालन किया जायेगा

① राष्ट्रपति का निर्वाचन
② उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
③ लोकसभा का निर्वाचन
④ राज्यों के विधान सभा का निर्वाचन
(State Legislature Assembly)

Sunil Arora

भारत का निर्वाचन आयोग मे 1 Chief election Comissiner (मुख्य निर्वाचन आयुक्त)

अशोक लवासा सुनील चन्द्र

(election Commissoners) ② निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य सदस्यों से मिलकर बना होगा

→ निर्वाचन आयोग के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति appoint करता है [मुख्य निर्वाचन आयुक्त & निर्वाचन आयुक्त]

निर्वाचन आयुक्तों के लिए योग्यताए —
(संविधान में कोई प्रावधान नही है)

① वह भारत का नागरिक
② आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए

कार्यकाल :- 6 years और 65 वर्ष आयु जो पहले Complete हो

सबसे पहला निर्वाचन आयोग (1950) — 1989

1 chief election Comm
other member

1990 मे → बंद 1 Chief election Commissinor + 2 election Commissinoor + other member

1993 again →

→ निर्वाचन आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशो के बराबर होते है।

तीनो मे dispute → मतदान के आधार पर resolve

निर्वाचन आयुक्तो का निलम्बन — Same as judges of Supreme Court.

① वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते है।

निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ –

(1.) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एवं विधान सभा के चुनावों का संचलन, नियंत्रण एवं निर्देशन करना
Conduct Control

मतदाताओं की सूची तैयार करना

(2.) विभिन्न राजनैतिक दलों को मान्यता प्रदान करना

(3.) विभिन्न राजनैतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह

(4.) प्रदान करना

(5.) चुनावों के लिए चुनाव क्षेत्र (Constituencies) का निर्धारण करना

(6.) art 103- राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं पर निर्वाचन आयोग को सलाह दी जाती है

art 192: राज्यपाल के द्वारा विधान मण्डल के सदस्यों की अयोग्यताओं पर निर्वाचन आयोग को सलाह देना

(7.) निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण (Training) देना

(8) निर्वाचन आयोग ~~की~~ राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है।

(9) निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वह निर्वाचन की प्रक्रिया में सुधार करे। as- NOTA

(10) निर्वाचन आयोग को अधिकार है कि वह हिंसा एवं Booth ~~बूथ~~ Capturing की स्थिति में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन रद्द कर सकता है।

chief election Commi
1- सुकुमार सेन

(11) art 325 :- धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग एवं मूलवंश (Race) के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता

age-18

art (326):- व्यस्क (adult) मताधिकार [61 Cont amd 1989]

Vote- हमारा संवैधानिक अधिकार होता है।

EVM [electoronic voting mechine]

1990 में एक समिति का गठन किया गया जिसे दिनेश गोस्वामी समिति कहा जाता है।
इसी समीति की सिफारिश पर EVM सबसे पहले Goa मे सुरुआत की गयी
लेकिन EVM के द्वारा ही 12 वी लोकसभा मे लोकसभा चुनाव करवाये गये
EVM meching voting system adopted from Austeralia.

art 327:- लोकसभा निर्वाचन के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।

art 328:- विधान सभा निर्वाचन के लिए भी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।

art 329:- निर्वाचन के दौरान हुए सभी मतभेदो को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही न्यायालय मे ले जाया जा सकता है।
as- आचार संहिता

राष्ट्रीय दल [National Party) या राज्स्तरीय (State level दल के लिए शर्ते

[7.] राष्ट्रीय दल के लिए योग्यताए –

(1) दो या दो से अधिक राज्य मे न्यूनतम 4 लोकसभा सीटे

(2) न्यूनतम 4 राज्यो मे कुल वैध मत का न्यूनतम 6%

(3) यदि कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा निर्वाचन मे न्यूनतम 2% जीतती है
(11 seat) ↳ seat तीन विभिन्न राज्यो से होनी चाहिए

(4.) यदि किसी राजनीतिक दल को न्यूनतम 4 राज्यो मे राज्य ~~स्तीय~~ स्तरीय Party की मान्यता मिलि हो तो [State level].

राज्यस्तरीय दल के लिए योग्यताए –

(1.) यदि कोई भी राजनीतिक दल विधान सभा के चुनावो मे Valid Vote का न्यूनतम 6% प्राप्त कर लें

(2) और वह विधान सभा निर्वाचन मे न्यूनतम 2% सीटे प्राप्त कर ले

(3) न्यूनतम 6% vote in लोकसभा election & 1 seat in election

(4.) न्यूनतम 3% seat in Legislative assembly election (विधान सभा चुनावो मे]

(5.) यदि 25 पुरा चुनावी क्षेत्रो मे से लोकसभा मे न्यूनतम 1 seat

5th of June

Part-16 Special provision for Special Catagories

art (330-340) विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध (प्रबन्ध)

art 330 :- Reservation for Sc and ST in Loksabha
लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रबन्ध

art 331 - Reservation for two anglo Indian in LS

art 332 :- Reservation for Sc and ST in state Legislative assembly (विधान सभा)

* art 333 Reservation for one anglo Indian in state legislative assembly except
सिक्किम विधान सभा
यहा बौद्ध की नियुक्ति होती है।

* art-(334) आरक्षण की अवधी - 10 year

* art 335 पदों पर SC and ST का आरक्षण लेकिन ये भाग-4 में नही है।

art (338) Sc आयोग का प्रावधान (Sc जाति आयोग)
provision for Sc Commission

art 338(A) provision for ST Commission

grp art 340 OBC के लिए पदों पर आरक्षण

art (341) राज्य की SC की सूची

art (342) राज्य की ST जनजातियों की सूची

Part-17 Official Language art (343-351)
राजभाषा

☆ art 343 संघ की राजभाषा Hindi होगी और लिपि देवनागरी होगी।
इसकी घोषणा 14 Sep 1949 (इसी दिन Hindi दिवस मनाते हैं।) इसे Apply 26 jan 1965 में किया

art 343 (B) अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में 15 वर्ष के लिए लागू किया।

art 345 State Language (राज्य की भाषाए)

art 346 Language of Communication is between Centre and State is Hindi only.

art (348) Official Language of Court of Union
संघ के न्यायालय की राजभाषा English

☆ art (350) The Language of the plea (याचना) — Hindi

☆ art (350 A) राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारम्भीक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे।

भाग 4 में नहीं

art(351) हिन्दी भाषा का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है।

Part-18 Emergency provisions [art 352-360]

Part-19 राष्ट्रपति को कोई सजा नहीं ← art(361)

Part-20 Constitutional Amendment
संविधान संसोधन

art(368) अपने संविधान में सुधार करने के लिए एवं संविधान को बेहतर बनाने के लिए संविधान संसोधन का प्रावधान किया गया है।

⇒ भारतीय संविधान में किए गये प्रमुख संविधान संसोधन

(1) 1st Constitution Amendment 1951
9 वी अनुसुची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और भूमि सुधार के लिए कानून बनाये गये

10th संविधान संसोधन 1961
दादर एवं नगर हवेली को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया

12th संविधान संसोधन 1962
Goa and दमन द्वीप को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया

14th संविधान संसोधन 1962
Puducherry को भारतीय संघ का अभिन्न अंग बनाया गया

31st Constution Amendment 1973.
लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया

36th संविधान संसोधन 1975
Sikkim को भारत संघ का 22 वां राज्य बनाया गया

39th संविधान संसोधन 1975
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती

42nd संविधान संसोधन 1976
इसको लघु संविधान कहा जाता है।

★ प्रस्तावना में समाजवादी, पन्थनिरपेक्ष एवं अखण्डता शब्दों को जोड़ा गया
S. So I

★ संविधान संसोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
★ संविधान में भाग- 4(A) जोड़ा गया जिसमे हमने मौलिक कर्तव्यो को जोड़ा
★ भारत के राष्ट्रपति को अपने मन्त्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया।

* समवर्ती सूची में 5 विषयों को जोड़ा गया
  1. बाट एवं माप
  2. शिक्षा
  3. Family Planning (परिवार नियोजन) and जनसंख्या नियंत्रण
  4. forest
  5. wildlife Conservation

44th संविधान संशोधन 1978 —

* राष्ट्रपति के लिए (राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने से पहले (सशस्त्रविद्रोह) उसे मंत्री परिषद से पूछना पड़ेगा उसके बाद आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
* प्रेस की स्वतन्त्रता (freedom of press)

52nd Cons amd 1985

53 Const amd 1986

मिजोरम को भारतीय संघ का 23वा राज्य बनाया गया

55 वा संविधान संशोधन — 1986

(अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24 वा राज्य बनाया गया

56 Const amd — 1987

Goa को 25वा राज्य बनाया गया

61st Const amd 1989

वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 साल कर दी।

69th संविधान संसोधन 1991
The name of Delhi change to NCT
[National Capital Teritary]
दिल्ली मे 70 सदस्यो की एक विधान सभा
का गठन किया गया।

10th of july

70th संविधान संशोधन 1992 – दिल्ली एव पाण्डूचेरी के
विधान सभा के सदस्यो को राष्ट्रपति के
निर्वाचन मे हिस्सा मिला।

73rd संविधान संसोधन – (1992) – पंचायती राज को संवैधानिक
दर्जा प्राप्त हुआ
दो चीज add हुई
भाग – 9 — अनुसुची 11 को जोडा गया

74th संविधान संसोधन 1992 — नगरपालिका को भी
संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ

संविधान मे Part 9(A) और 12वी अनुसुचि
को जोडा गया

85th संविधान संशोधन 2002 — सरकारी सेवाओ मे
अनु सुचित जाति एवं अनुसुचित जनजातियो (ST)
को पदोन्नति मे आरक्षण दिया गया।

I.P ★ 86th संविधान संसोधन 2002 :- Article 21(A), Art- 45, Article - 51(A) को संविधान में जोडा गया।

→ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान

87th संविधान संसोधन - (2003) - 2001 की जनगणना को परीसिमन का आधार बनाया गया।

→ 88th संविधान संशोधन 2003 — Service Tax सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया

91st संविधान संशोधन 2003 — केन्द्र एव राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या को 15% किया गया।

92nd संविधान संसोधन - 2003 भारत के संविधान में चार भाषाओं को जोडा गया

M	B	D	S
मैथली	बोडो	डोगरी	संथाली
Bihar	Assam + नागालैंड	जम्मू - कश्मीर (H.P)	झारखण्ड

Amd — 102
Amd Bill → 124

96th संविधान संशोधन 2011 — ~~ओडिशा~~ उड़िया भाषा को बदलकर ओडिया कर दिया गया

100 वां संविधान संशोधन 2015 — Land boundary agreement b/w India & Bangladesh
(भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता)

India हमने → 111 गांव Bangladesh
51 गांव ←
from 1 Aug से नागरिकता दी

101 वां संविधान संशोधन [2017] — GST (Goods & Services Tax)

art 370 — जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान
जम्मू-कश्मीर भारत संघ में 26 Oct 1947 में शामिल किया

हैद, जूनागढ़, कश्मीर

भारत संविधान (अलग) — जम्मू कश्मीर (अलग)
(यह भारत का अभिन्न अंग है)
POK जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग

J&K एक विशेष राज्य है और अगर संसद चाहे तो art 370 में संशोधन कर सकती है राज्य सरकार की सिफारिश पर

art 352 — राज्य सरकार की सहमति के बिना J&K में art 352 (National Emergency) लागू नहीं किया जा सकता

- केन्द्र सरकार J&K को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून राज्य की सरकार की अनुमति के बिना नही बना सकती
- J&K के नागरिकों को वहा पर नौकरी एव निवास का अधिकार है
- J&K राज्य पर DPSP (राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू नही होते]

art 368 !— जम्मू & कश्मीर पर लागू नही होता [लागू होगा जब J&K की विधान सभा से 2/3 बहुमत संसद के आये]

- CAG (नियंत्रक महालेखा परिक्षक], मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उच्च न्यायालय [SC] के order applicable on Jammu and Kashmir.
- J&K राज्य में भी द्विसदनीय विधान मण्डल का गठन किया गया है।
  - विधान सभा (100)
  - विधान परिषद (36)
- इसमें 100 सदस्यों वाली विधान सभा तथा 36 सदस्यों वाली एव विधान परिषद का गठन किया गया है

(8 या 1/3 से ज्यादा नही) (min 40 होने चाहिए)

- J&K का राज्यपाल विधान सभा मे दो महिलाओं की नियुक्ति करता है।
- J&K राज्य की भाषा Urdu है

*art 371 - विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान

art 371(A) नागालैण्ड के लिए विशेष प्रावधान

art 371 (B) असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान

art 371 (C) मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान

Tripura
मेघालय ×

(Linguistic State)

art 371(D) आन्ध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान

art 371(E)— आन्ध्र प्रदेश मे तेलगू भाषा के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

art 371(F);- SikKim राज्य के लिए विशेष प्रावधान

art 371(G)- मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान

art 371(H)- अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष

art 371(I)- Goa राज्य के लिए विशेष प्रावधान

art 371(J)— तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान

provision i.e न्यायपालिका और प्रशासन 10 वर्ष तक आन्ध्र प्रदेश के साथ चलेगी [Combined]

art (394) :- भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद जो नागरिकता एवं निर्वाचन से सम्बन्धित हैं उन्हे 26 Nov 1949 से ही लागू किया जाता है।

लेकिन शेष संविधान को 26 Jan 1950 से लागू किया जायेगा

↓ पूर्ण स्वराज दिवस

art (395) भारतीय संविधान का (Hindi) मे अनुवाद

Language ↳ 14 Sep 1964 adopt

11th of June

Part-11 तथा 12 संघ एवं राज्यों के बीच सम्बन्ध

art (245-300) Relation between Union & States

adopted - Australia

संघ एवं राज्यों के बीच तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं

① Legislative (विधायी) सम्बन्ध [Part-11 (art 245-255)]

② प्रशासनिक सम्बन्ध [Administrative]
Part-11 art 256-263

③ Financial Relation (वित्तीय सम्बन्ध)
part-12 art-(264-300)

Legislative Relation

art 245 :- इस art के तहत संसद को अधिकार है कि वह भारत राज्य या उसके किसी भी क्षेत्र के लिए विधि या कानून का निर्माण कर सकती है।

art 246- इन कानूनों का निर्माण संसद की सूचियों के अनुसार किया जायेगा
हमारे पास तीन सूचियां हैं।

Union List (संघ सूची) — इसमें वो विषय आते हैं जिनमें केन्द्र द्वारा कानून बनाया जाता है।
संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय

Defence (रक्षा)
external affairs (विदेशी मामले)

नागरिकता

Nuclear Power (परमाणु शक्ति)
war & Pease (युद्ध एवं शान्ति)
minerals (खनिज)
insaurance (बिमा)
Currency (मुद्रा)
Railway
Post and ~~Teligram~~ Ban in india (डाक)
air ways & water ways (हवाई एवं जलमार्ग)
Parts (बन्दरगाह)
Bank
foregin Trade (विदेशी व्यापार)
Census (जनगणना)
Stock Exchange
Boundry Tax (सीमा कर)

State List (राज्य सूची) :- इसमें वो विषय आते हैं जिनपर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है।

राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय

Agriculture (कृषि)
Judicial System न्याय व्यवस्था
Local Governence स्थानीय प्रशासन
Health स्वास्थ्य
Jail (कारागार)
State Public Service (राज्य लोक सेवा)
Palice
Commercial traid वाणिज्यिक व्यापार
Animal Husbandry पशु पालन
Irrigation सिंचाई

Liquir शराब
Land भूमि
Entertainment मनोरंजन

Concurrent list (समवर्ती सूचि)

इसमें वो विषय आते हैं जिसपर संघ तथा केन्द्र दोनों नियम बना सकते हैं
इसके महत्वपूर्ण विषय —

Punishment Process दंड प्रक्रिया
Education शिक्षा
Factories कारखाने
Labour union मजदूर संघ
Population Control जनसंख्या नियंत्रण
Labours welfare श्रमिक कल्याण
Economical & Social Control आर्थिक एवं सामाजिक नियंत्रण

Forest वन
Industrial dispute औद्योगिक विवाद
Successorship उत्तराधिकार
Electrusity विद्युत
Price Control कीमत नियंत्रण

वो विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है उनपर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ (केन्द्र) का है।

Ex- Cyber law (साइबर)

सूची

art 249 यदि कोई राज्य राज्य के विषय को महत्वपूर्ण घोषित करता है तो राज्य के विषयों पर केन्द्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है।

art 250 आपात काल की स्थिति में भी राज्य के विषयों पर केन्द्र कानून बना सकती है।

art 252 यदि दो या दो से अधिक राज्यों को एक ही कानून की आवश्यकता है तो उस स्थिति में भी राज्य सूची के विषयों पर स केन्द्र कानून बनाया जा सकता है।

art 253 सन्धियों एवं समझौतों (Pact) की स्थिति में भी केवल अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है

art 254 यदि केन्द्र एवं राज्यों द्वारा बनाये गये कानूनों में कोई भी मतभेद होता है तो उस स्थिति में केन्द्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा

प्रशासनिक सम्बन्ध — (art 256 - 263)

art 256 प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल केन्द्र या संघ की कार्यपालिका को प्रभावित किये बिना करता है।

art 258 राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्यों को आदेश दे सकता है तथा राज्यों के बीच कर्तव्यों का बटवारा कर सकता है।

★★ art (262) :- नदी जल विवाद ;- यदि दो या दो से आधिक राज्यों के बीच नदी के जल के वितरण को लेकर विवाद होता है तो उसके लिए कानून बनाने का आधिकार [संसद] को है.

नदी जल विवाद समिति   Head of { SC - judge
X judge }

वित्तिय सम्बन्ध (art 264 - 300)

★ art (266) भारत की संचित निधि एव राज्य की संचित निधि
1938 diarchy
except - Consolidated fund
आकस्मिक
& राज्य money
fund निकालना - parliament

art (267) आकास्मिक निधि [Contengency fund]
↓
गठन — 1950
fund निकलना - राष्ट्रपति / राज्यपाल

★ art (280) वित्त आयोग (finance Commission)
यह एक संवैधानिक (Constutional) निकाय है जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है

(i) इसमे एक — अध्यक्ष (Chairman) तथा अन्य चार सदस्य होते है।
जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

वित्तीय आयोग अधिनियम 1951 के तहत
वित्त आयोग की अध्यक्ष की योग्यताए
निम्न है।

① वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायधीश बनने की योग्यता रखता हो

② वह व्यक्ति जो CAG बनने की योग्यता रखता है

CAG — नियंत्रक परिक्षा महालेख

③ वह व्यक्ति जिसे प्रशासन एवं वित्तिय मामलो का ज्ञान हो

④ वह व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता है

कार्यकाल —— 5 Years or 65 Years

वित्त आयोग का कर्तव्य —

① केन्द्र एवं राज्यो के बीच धन का बटवारा करना

② भारत की संचित निधी और आकस्मिक निधि से धन का बटवारा करना

③ भारत के राष्ट्रपति को वित्तिय सुझाव देना

Part 9 (A)

पंचायत या पंचायती राज

art 243 (A — O)

Part 9(A) — नगरपालिकाए art 243(P – Z)

1882 में लार्ड रिपन ने भारत मे स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की

But स्वतंत्रता के बाद इसकी (स्थानीय स्वशासन) शुरुआत 2 Oct 1952 से की गयी

जिसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया

पंचायतों के लिए सबसे पहले बलवंत राय महता समिति बनायी 1956 मे

इसकी सिफारिसो को राष्ट्रीय विकास परिषदो के द्वारा 1958 मे स्वीकार किया गया

⇒ तथा भारत की पहली पंचायत 2 Oct 1959 को राजस्थान के नागौर जिले मे किया गया तथा इसका उद्घाटन Pt Nehru ने किया

उसी वर्ष यह व्यवस्था आन्ध्र प्रदेश मे भी लागू की गयी

स्थानीय स्वशासन से सम्बन्धित कुछ और महत्वपूर्ण समितिया

अशोक महता समिति 1977

राव समिति — 1985

सिंघवि समिति (Sindhvi) — 1987 (गठन)

P.K. Thungan Committee — 1988 (थुंगन)

इसी की सिफारिश पर (पंचायत का Bill) दिया संसद मे

1992 मे P.V नरसिम्हा राव की सरकार मे 73वे संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया
और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला

पंचायतीराज

art [243 (A)] Legislative division (विधान मंडल)

पंचायतो का गठन करना और ~~अ~~ उन्हे उनके कर्तव्यो का वितरण करना का अधिकार राज्यो की विधान मंडल का है

art 243(B) पंचायती राज की संरचना ये तीन स्तरो पर कार्य करती है।

1. ग्राम स्तर — ग्राम पंचायत (Village)
2. Block (ब्लाक स्तर) — मंडल / ब्लाक पंचायत
3. जिला स्तर — जिला पंचायत

art 243 (D) :- पंचायतो मे SC & ST के लिए आरक्षण का प्रावधान

→ 1/3 आरक्षण — महिलाओ

art 243 [E] :- पंचायतो का कार्यकाल — प्रथम सत्र से 5 वर्ष

~~समाप्त~~ पहले भंग → 6 month मे दोबारा ~~गठन~~

art 243(F) पंचायतों के सदस्यों की योग्यताए

① 21 Year age min

② वह विधान मंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो

③

art 243(G) :- पंचायतों के कर्तव्य (duties & Respon)

11 वी अनुसूची में (29) विषय दिये गये है जो पंचायतों का कर्तव्य होती है)

Ex- पशु पालन

art 243(I) - पंचायतों के लिए वित्त आयोग

गठन → प्रत्येक 5 वर्ष के बाद By - राज्यपाल

art 243(K) राज्य निर्वाचन आयोग → गठन राज्यपाल

Conduct election - for पंचायत & नगरपालिका

Part 9(A) नगरपालिकाए

art - 243(P) to 243(Z)

art 243(R) पूर्व संविधान संशोधन के तहत नगरपालिकाओं को भी तीन स्तरों पर बाटा गया है

① नगर पंचायत — गाव → शहर

② नगर परिषद — छोटे नगर (कस्बो) Town (3 लाख)

③ नगर निगम — Population 10 लाख से (+)

निम्न राज्यो एव केन्द्र शासित प्रदेशो के लिए

पंचायतों & नगरपालिका प्रावधान नहीं

J&K, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, Delhi
मणिपुर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग

243 (W) अनुसूची - 12 में ऐसे (18) विषय हैं जो नगर पालिकाओं का कर्तव्य होता है।